



100 years of dedicated service to the Nation

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2007-2008


ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

ਪੰਜਾਬ ਆਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕਰਮ) (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ)


Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)


Fastest Growing Public Sector Bank with lowest NPA percentage



सरदार तरलोचन सिंह जी
SARDAR TARLOCHAN SINGH JI
(1872-1947)



भाई वीर सिंह जी
BHAIR VIR SINGH JI
(1872-1957)



सर सुंदर सिंह जी मजीठिया
SIR SUNDER SINGH JI MAJITHIA
(1872-1941)

संस्थापक / Founders




विषय सूची/CONTENTS

उल्लेखनीय तथ्य	Highlights	2
निदेशक-मंडल	Board of Directors	3
महाप्रबंधक	General Managers	3
लेखा परीक्षक	Auditors	3
निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन	Directors' Report	5
तुलन-पत्र	Balance Sheet	18
लाभ-हानि खाता	Profit & Loss Account	19
अनुसूचियां	Schedules	20
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	Auditors' Report	49



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank



ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਰ੍ਹੇ 1908 ਮੇਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰੰਮ ਕੀ (ਮਵਨ ਕਾ ਰੇਖਾਚਿਤਰ)
Bank began its journey in the year 1908 from Hall Bazar Amritsar (a sketch of the building)

ਉਲੇਖਨੀਯ ਤਥਯ / HIGHLIGHTS

	ਰੁਪਏ (ਲਾਖੀਂ ਮੇਂ)/Rs. (in lacs) ਯਥਾ/as on 31-03-2008
ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਲਾਮ Net Profit	38236
ਜਮਾ Deposits	2483141
ਅਧਿਮ (ਬੀ.ਏਸ.) Advances (B.S.)	1834330
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਮ Priority Sector Advances	604500
ਨਿਵੇਸ਼ (ਬੀ.ਏਸ.) Investments (B.S.)	847363
ਆਸਤਿਯੋਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਫਲ (%) Return on Assets (%)	1.49%
ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਏਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ (%) Net NPA Ratio (%)	0.37%
ਪੂੰਜੀ ਪਰਯਾਪਤਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (%) Capital Adequacy Ratio (%)	11.57%

24 ਜੂਨ, 1908 ਸੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਸਮਰਪਿਤ

Serving the Nation since 24th June, 1908

ਮੁਖਯ ਕਾਰਯਾਲਯ : 'ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ', 21 ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲ੍ਲੀ-110125

Head Office : 'Bank House', 21, Rajendra Place, New Delhi-110125

Visit us at : www.psbindia.com



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank

निदेशक मंडल Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

स. आर. पी. सिंह
S. R. P. Singh

श्रीमती अनीता कपूर
संयुक्त सचिव (टीपीएल)
Smt. Anita Kapur
Joint Secretary (TPL)

स. अवतार सिंह मान
S. Avtar Singh Mann

श्री उमेश कुमार शर्मा
Sh. Umesh Kumar Sharma

कार्यकारी निदेशक Executive Director

स. जी. एस. माटा
S. G. S. Matta

स. मोहन सिंह सेखों
S. Mohan Singh Sekhon

श्रीमती कमल मान
Smt. Kamal Mann

निदेशक Directors

श्री आर. सदानन्दम
Sh. R. Sadanandam

श्री के. के. शर्मा
Sh. K. K. Sharma

श्री एम.वी.एस. प्रसाद
Sh. M.V.S. Prasad

महाप्रबंधक General Managers

स. गजेन्द्र सिंह
S. Gajindar Singh

स. जे. एस. कथूरिया
S. J. S. Kathuria

स. एच.एस. मक्कड़
S. H.S. Makker

स. देविन्द्र सिंह
S. Devinder Singh

स. के.एस. सदर
S. K.S. Sadar

स. एच.एस. लाम्बा
S. H.S. Lamba

स. उपकार सिंह
S. Upkar Singh

स. जी.एस. रेखी
S. G.S. Rekhi




लेखा परीक्षक Auditors

ओ. पी. तुलसियान एण्ड कं.
O. P. Tulsyan & Co.

के. बी. चान्दना एण्ड कं.
K. B. Chandna & Co.

प्रसाद आज़ाद एण्ड कं.
Prasad Azad & Co.

एस. लाल एण्ड कं.
S. Lall & Co.



उल्लेखनीय तथ्य/HIGHLIGHTS

- ➔ बिज़नेस टुडे और केपीएमजी द्वारा किए गए सर्वेक्षण-2007 के अनुसार मध्यम आकार के बैंकों में नम्बर एक स्थान।
Ranked No. 1 best medium sized bank as per Business Today-KPMG Survey 2007 of Banks.
- ➔ गैर-निष्पादित आस्तियों की प्रतिशतता सरकारी क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम।
Lowest percentage of Gross NPAs among Public Sector Banks.
- ➔ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सबसे ज्यादा क्रेडिट वृद्धि (54.08%) तथा व्यापार में वृद्धि (38.30%)
Highest Credit growth (54.08%) and Business growth (38.30%) among Public Sector Banks.
- ➔ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आस्तियों पर औसत आय (1.49%) दूसरे स्थान पर।
Second highest Return on average Assets (1.49%) among Public Sector Banks.



निदेशक मंडल की रिपोर्ट/DIRECTORS' REPORT

बैंक, जिसकी स्थापना 24.06.1908 में हुई थी, ने शताब्दी वर्ष में सब क्षेत्रों में रिकार्ड कार्यानिष्पादन किया। इसके संस्थापकों के योगदान की सराहना करते हुए निदेशक मण्डल बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते को प्रस्तुत करते हुए वर्ष का अनुभव करता है।

आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थ व्यवस्था में लगातार पाँचवें वर्ष भी वृद्धि दर्ज की गई। सेवा और निर्माण उद्योग में वृद्धि हुई और भारत दुनिया में सबसे आकर्षक निवेश के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। वृद्धि दर जो 2006-07 में 9.6 प्रतिशत थी कम होकर 2007-08 में 8.7 प्रतिशत हो गई, यह मुख्यतः आर्थिक नीति में सख्ती, रुपये के मूल्य में वृद्धि और ग्लोबल कमी के कारण हुई। व्यापक मुद्रा वृद्धि (M3) जो एक वर्ष पूर्व 21.5 प्रतिशत थी, मार्च 2008 के अंत में 20.7 प्रतिशत हो गई।

बैंकिंग परिदृश्य में, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों ने 2006-07 में 25.06% व्यापार वृद्धि दर्ज की थी जो कि घटकर 2007-08 में 22% हो गई। सरकार की नकद शेष राशि तथा पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2007-08 में नकदी परिस्थितियाँ निरंतर प्रभावित रहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरक्षित निधि अनुपात, खुला बाज़ार, बाज़ार स्थिरीकरण तथा चलनिधि समायोजन सुविधा का उपयोग करते हुए चलनिधि की सक्रिय प्रबंधन नीति को जारी रखा।

वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय वित्तीय बाजारों की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रही किंतु इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव रहा।

वर्ष 2007-08 में बैंक का कार्य निष्पादन

पूंजी एवं आरक्षित राशियाँ

बैंक की प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह 743.06 करोड़ रुपये के स्तर पर बनी रही। बैंक की शुद्ध मालियत जो 31.03.2007 को 1187 करोड़ रुपये थी, 31.03.2008 को बढ़कर 1505.23 करोड़ रुपये हो गई जो मुख्यतः प्रतिधारित आय की सहभागिता के कारण हुआ।

बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2008 को 11.57% रही जबकि इस हेतु न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता 9% है। कोर सीआरएआर 8.04% होने के कारण बैंक के पास टियर-II पूंजी बढ़ाने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 100 करोड़ रुपये के प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय व गौण (टियर-II) बांड जारी किए गए।

The Bank, which was founded on 24.06.1908, has entered its centenary year with a record performance on all fronts. While commemorating the contribution of its founders, the Board of Directors takes pleasure in presenting the Bank's Annual Report, the Balance-Sheet and Profit & Loss Account.

ECONOMIC SCENARIO

The Indian Economy's growth momentum has continued for fifth consecutive year. The service and manufacturing industry are flourishing and India has emerged as one of the most attractive investment destinations in the world. The growth rate has come down from 9.6% in 2006-07 to 8.7% in 2007-08, mainly because of tightening in monetary policy, appreciation of rupee and global slowdown. The Broad money growth (M3) was at 20.7% as at the end of March 2008 as compared to 21.5% a year ago.

On the Banking front, the scheduled commercial banks have shown business growth of 22% during 2007-08, lower than 25.6% in 2006-07. Liquidity conditions during 2007-08 continued to be influenced by variation in cash balances of the Governments and capital flows. The Reserve Bank of India continued with the policy of active management of liquidity through appropriate use of the Cash Reserve Ratio (CRR) and Open Market Operations (OMO), Market Stabilization Scheme (MSS) and Liquidity Adjustment Facility (LAF).

The Indian financial markets remained orderly during 2007-08, barring the equity market, which witnessed bouts of volatility.

BANK'S PERFORMANCE IN 2007-08

CAPITAL & RESERVES

The paid up capital of the Bank remains unchanged at Rs.743.06 crore. The Net Worth of the Bank has improved from Rs.1187 crore as on 31.03.2007 to Rs.1505.23 crore as on 31.03.2008, mainly contributed by the retained earnings.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank is 11.57% as on 31.03.2008 against the minimum stipulated requirement of 9%. With core CRAR at 8.04%, the Bank has sufficient head room for raising Tier II capital. During the year, the Bank issued redeemable, non-convertible subordinated (Tier II) Bond for Rs.100 crore.



कार्यचालन परिणाम

वर्ष के दौरान, बैंक ने समस्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से व्यापार में सबसे अधिक व्यापारिक वृद्धि दर्ज की। 31.03.2007 को 31266.82 करोड़ रुपये के कुल व्यापार की तुलना में 31.03.2008 को यह 43240.42 करोड़ रुपये हो गए जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 38.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों में बैंक का व्यापार दुगुने से भी ज्यादा हो गया है।

बैंक का शुद्ध लाभ 382.36 करोड़ रुपये हो गया, जो कि पिछले वर्ष के 218.53 करोड़ रुपये की तुलना में 74.97 प्रतिशत अधिक रहा। बैंक न केवल पहले से ही उन चुनिंदा बैंकों में से है जिन्होंने आस्तियों पर आय (आरओए) के 1% के अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड को प्राप्त किया हुआ है बल्कि आरओए में और अधिक सुधार कर इसे 1.49% तक कर लिया है, जो कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दूसरे स्थान पर है।

WORKING RESULTS

During the year, the Bank has recorded the highest growth in business among all Public Sector Banks. As on 31.03.2008, the total business of the Bank stood at Rs.43240.42 crore against Rs.31266.82 crore as on 31.03.2007, recording a growth of 38.30% over the last year. The business has more than doubled in the last three years.

The Bank recorded net Profit for the year amounting to Rs.382.36 crore, which is 74.97% more than the previous year profit of Rs.218.53 crore. The Bank, which had already joined the select band of few banks which had achieved International norm of 1% of Return on Assets (ROA), further improved the ROA to 1.49%, which is the second highest among the public sector banks.


31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के परिणामों के उल्लेखनीय तथ्य PERFORMANCE HIGHLIGHTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008

रुपए लाखों में / Rs. in lacs

विवरण / Particulars	वर्ष की समाप्ति पर / Year Ended		प्रतिशत बदलाव %age change
	31-3-2008	31-3-2007	
ब्याज आय / Interest Income	224940	172687	30.26
अन्य आय / Other Income	28753	22850	25.83
कुल आय / Total Income	253693	195537	29.74
ब्याज व्यय / Interest Expended	143349	95986	49.34
परिचालन व्यय / Operating Expenses	56078	52307	7.21
कुल व्यय / Total Expenditure	199427	148293	34.48
परिचालन लाभ / Operating Profit	54266	47244	14.86
शुद्ध लाभ / Net Profit	38236	21853	74.97
आस्तियों पर प्रतिफल / ROA(%)	1.49%	1.01%	—
सकल अनर्जक आस्तियां / Gross NPA(%)	0.74%	2.43%	—
शुद्ध अनर्जक आस्तियां / Net NPA(%)	0.37%	0.66%	—
पूजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio (%)	11.57%	12.88%	—


जमा राशियां

बैंक की कुल जमा राशियों में 28.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिससे शुद्ध अभिवृद्धि 5512.65 करोड़ रुपये होने से 31 मार्च 2008 को ये 24831.41 करोड़ रुपये हो गई, जो कि 31 मार्च 2007 को 19318.76 करोड़ रुपये थी। बैंक की जमा राशियों की लागत 6.21 प्रतिशत रही।



अग्रिम राशियां

वर्ष के दौरान अच्छी मांग होने के कारण बैंक ने ऋणों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। दिनांक 31.03.2007 को बैंक के कुल अग्रिम 11948.06 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2008 को बढ़कर 18409.01 करोड़ रुपये हो गये, जिससे 54.08% वृद्धि दर दर्ज की गई। पिछले वर्ष अग्रिमों पर प्रतिफल 9.34% था जो इस वर्ष बढ़कर 11.21% हो गया।



DEPOSITS


Total deposits of the Bank registered a growth of 28.54% with net accretion of Rs.5512.65 crore, to reach Rs.24831.41 crore as on March 31, 2008 from Rs.19318.76 crore as on March 31, 2007. The cost of deposits of the Bank stood at 6.21%.

ADVANCES

The Bank registered a phenomenal expansion in credit due to its good demand during the year. The gross advances of the Bank increased from Rs.11948.06 crore as on 31.03.2007 to Rs.18409.01 crore as on 31.03.2008, registering a growth rate of 54.08%. The yield on advances has moved up from 9.34% of previous year to 11.21% during the year.

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत समस्त लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31.03.07 के 4942.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.08 को 6045.00 करोड़ रुपये हो गए जोकि समायोजित शुद्ध बैंक ऋणों हेतु 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में 50.59% हैं। कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए ऋण 147.76 करोड़ रुपये हैं तथा इस श्रेणी के अंतर्गत वसूली 47.03% है। भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, कृषि व एस एम ई इकाइयों को ऋण वितरण बैंक की ऋण नीति के प्रमुख अंग बने रहे।



गुडगांव में बैंक द्वारा वित्तपोषित एस एम ई यूनिट-ऑटो पार्ट के उत्पादन में कार्यरत SME unit financed by the Bank-Engaged in Manufacturing Auto Part at Gurgaon

PRIORITY SECTOR ADVANCES

The Bank has achieved all targets under Priority Sector. Bank's Priority Sector advances rose from Rs.4942.11 crore as on 31.03.2007 to Rs.6045.00 crore as on 31.3.2008, which stood at 50.59% of Adjusted Net Bank Credit against national target of 40%. The credit to SC/ST out of total Priority Sector credit stood at Rs.147.76 crore and percentage of recovery under this category stood at 47.03%. In line with directions of the Government of India / Reserve Bank of India, Agriculture and SME lending remained thrust areas of the Bank's Credit Policy.



भारतीय रिजर्व बैंक के 18% के मानदण्ड के एवज़ में 2008 को समाप्त वर्ष में कृषि अग्रिम समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) का 20.41% थे। काश्तकार और अलिखित पट्टेदार किसानों सहित लघु एवं सीमांत किसानों को हमारे बैंक द्वारा 7% के सस्ते ब्याज दर पर व्यापक रूप से ऋण उपलब्ध करवाया गया।

एसएमई ऋण वर्ष 2007 में 1881 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2008 में 3015 करोड़ रुपये हो गए जो कि 60.24% की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह वृद्धि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक है।

इसी प्रकार कमजोर वर्ग को ऋण वर्ष 2007 में 653 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2008 में 1056 करोड़ रुपये हो गए जो कि 62% की उल्लेखनीय वृद्धि है।

प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ विभिन्न ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के दौरान भी प्रमुख अंग बने रहे।

कृषि को ऋण उपलब्धता की दृष्टि से बैंक ने वर्ष 2007-08 में अपने लक्ष्य को पार कर लिया। विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत, बैंक ने 2585 करोड़ रुपये के लक्ष्य के एवज़ में 2654.28 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए तथा यह उपलब्धि 102.68% रही।

बैंक ने देश भर में अल्पसंख्यकों को ऋण देने में श्रेष्ठता दर्शाई है। 2007-08 को समाप्त वर्ष में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत दिये गए ऋणों में से बैंक द्वारा इस श्रेणी में 37.08% ऋण दिए गए।

बैंक लुधियाना, फरीदकोट तथा मोगा जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने सभी विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु ऋण उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से कार्य किया और इन जिलों में वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फरीदकोट-बठिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋणों में लगातार वृद्धि की गई तथा वर्ष 2007-08 में 1.11 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया। अपने वर्तमान कार्यक्षेत्र में शाखाएं खोलने के अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने पंजाब में नए आबटित लुधियाना जिले में भी शाखा नेटवर्क बढ़ाया है।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के दौरान 7.35 लाख नए जमा खाते खोले जिसमें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 1.19 लाख 'नो फ्रिल खाते' शामिल हैं।

Agriculture advances were at 20.41% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) at the end of 2008 against the RBI norms of 18%. Bank extensively provided credit to small & marginal farmers including tenant farmers and oral lessees at cheaper interest rate of 7%

SME credit has grown from Rs.1881 crore in 2007 to Rs.3015 crore in 2008, recording a growth of 60.24%, which is the highest among Nationalized Banks.

Similarly credit to Weaker Section has grown from Rs.653 crore in 2007 to Rs.1056 crore in 2008, recording a growth of 62%.

While achieving overall Priority Sector targets, various rural development and poverty alleviation programmes continued to be thrust areas during the year 2007-08.

The flow of credit to Agriculture in the year 2007-08 exceeded the targets. Under Special Agriculture Credit Plan, Bank has disbursed Rs.2654.28 crore against the target of Rs.2585 crore, achieving 102.68%.

The Bank excelled in lending to Minority Communities across the country and advances of the Bank under this category stood at 37.08% of Priority Sector Advances as at the end of 2007-08.

The Bank has been entrusted Lead Bank responsibility in the districts of Ludhiana, Faridkot and Moga. Bank actively participated in financing all developmental programmes during the year and has achieved the targets in these districts under Annual Action Plan.


Faridkot Bathinda Kshetriya Grameen Bank, the RRB sponsored by our Bank made consistent progress in lending under Priority Sector and recorded a net profit of Rs.1.11 crore for the year 2007-08. RRB also expanded its branch network in newly allocated district Ludhiana (Punjab), besides opening new branches in its existing areas of operation.

FINANCIAL INCLUSION

The Bank has added more than 7.35 lac deposit accounts during the year ended 31.03.2008, including more than 1.19 lac "No Frill Accounts" under financial inclusion.

नए आयाम

- वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार बैंक ने लुधियाना में किसानों के लिए एक परामर्श व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है, ताकि किसानों को नवीनतम कृषि प्रबंधन तकनीक के प्रति जागरूक एवं शिक्षित किया जा सके।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए बैंक ने शिक्षा ऋण आवेदन हेतु ऑन-लाइन पद्धति अपनाई है तथा ऋण स्वीकृति को गति प्रदान की है।
- हमारा बैंक ऐसे कुछ बैंकों में से एक है जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय सहायता देने के लिए ई-पोर्टल के माध्यम से दावा दायर करने की पद्धति कार्यान्वित की है।
- बैंक ने विभिन्न नवोन्मेष आरिस्त उत्पाद जारी किए हैं जैसे कि रिवर्स मॉर्टगेज कन्सेप्ट पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुखमनी योजना, समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को अधिक वित्त देने हेतु माइक्रो वित्त की योजना के साथ कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यारियों व महिला उद्यमियों (5% के राष्ट्रीय लक्ष्य के एवज में 7.10%) का प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण वितरण में विशेष ध्यान रखा गया है।




बैंक द्वारा प्रतिस्थापित कृषक काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र में किसानों को पी एस बी माडर्न डेयरी योजना की जानकारी प्रदान करते हुए।
Farmers Counseling & Training Centre Set up by the Bank-
Educating Farmers about PSB Modern Dairy Scheme

NEW INITIATIVES

- In compliance of the directions of Ministry of Finance, the Bank has established Farmers' Counseling & Training Centre at Ludhiana for sensitizing and educating the farmers with the latest farm management techniques.
- For encouraging students pursuing higher studies, Bank has adopted on-line system for registering and expeditious sanction of education loan applications.
- Our Bank is one of the few banks, which implemented the system of lodging claims through e-portal for providing financial assistance to eligible food processing enterprises.
- The Bank also introduced various innovative asset products such as Sukhmoney Scheme for Senior Citizens on Reverse Mortgage Concept, Scheme for Micro Finance for greater financial inclusion of economically deprived section of society besides directing substantial component of Priority Sector lending towards Weaker Section, SC/ST borrowers and Women Entrepreneurs (7.10% against national stipulation of 5%).

अनर्जक आस्ति (एन.पी.ए.) प्रबंधन

वर्ष 2007-08 के दौरान अनर्जक अग्रियों की वसूली बैंक की प्राथमिकता रही। अपनी कड़ी वसूली नीति को जारी रखते हुए बैंक ने एसएमए खातों की लगातार मानीटरिंग के द्वारा नए रिसाव को नियंत्रित किया। परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक का सकल एनपीए प्रतिशत न्यूनतम रहा।



NON PERFORMING ASSETS (NPA)

MANAGEMENT

Recovery in Non-Performing Advances continued to remain the utmost priority of the Bank during the year 2007-08. While continuing its aggressive recovery policy, the Bank was in a position to control fresh slippage through continuous monitoring of SMA accounts and thus containing the slippage. **As a result, the Bank achieved the distinction of having lowest percentage of Gross NPAs among Public Sector Banks.**



31.03.2008 को सकल एवं निवल एन.पी.ए की स्थिति निम्नानुसार है :
(राशि रुपये करोड़ में)

एन पी ए	2006-2007		2007-2008	
	सकल	290.84	2.43%	135.53
निवल	77.04	0.66%	66.97	0.37%

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक ने एनपीए में उल्लेखनीय वसूली की है जिससे सकल एन.पी.ए. 31 मार्च 2005 में 17.17% की तुलना में वर्ष 31 मार्च 2008 में घटकर 0.74% हो गए। बैंक का एन.पी.ए. रिसाव पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम रहा।

दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए बैंक में भारित आस्तियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान विनियमन के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों से अधिक प्रावधान किया जा रहा है। सुरक्षित अग्रिमों में 10%, 20% तथा 30% विनियमन आवश्यकता के एवज में बैंक ने पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में एनपीए में क्रमशः 35%, 65% तथा 100% का प्रावधान किया है।

राजकोष परिचालन

बैंक का कुल निवेश 31.03.2008 को 8524.92 करोड़ रुपए रहा जबकि 31.03.07 को यह 6752.01 करोड़ रुपये था जो कि संविभाग संघटन पर कंपनी आवश्यकताओं, जोखिम बोध एवं बैंक की निवेश नीति के अनुरूप है। वर्ष 2007-08 के दौरान निवेशों पर औसत आय वर्ष 2006-07 के 7.92% की तुलना में 7.72% रही।

बैंक का वर्ष 2007-08 का औसत निवेश 8035.54 करोड़ रुपए रहा, जो कि 2006-07 में 7150.72 करोड़ रुपए था। फलस्वरूप वर्ष 2007-08 के ब्याज से कुल आय बढ़कर 620.43 करोड़ रुपए हो गई जो कि वर्ष 2006-07 में 566.92 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इसमें 9.44% की वृद्धि रही।

बैंक ने वर्ष 2007-08 में प्रतिभूतियों को बेचकर भी 17.51 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान यह 17.35 करोड़ रुपए था।

विदेशी विनिमय परिचालन

विदेशी विनिमय व देशी राजकोष दोनों ही बेहतर तालमेल के साथ परिचालन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप स्रोत प्रबंधन के लिए अच्छे परिणाम सामने आये हैं और राजकोष से लाभप्रदता में सुधार हुआ है। ऐसे किसी भी नोस्ट्रो खाते में असमायोजित डेबिट नहीं है जो तीन महीने से ज्यादा बकाया हो।

The position of Gross & Net NPAs as on 31.03.2008 is as under:
(Amt. in Rs. crore)

NPAs	2006-2007		2007-2008	
	Gross	290.84	2.43%	135.53
Net	77.04	0.66%	66.97	0.37%

During the last three years, Bank has registered a record recovery in NPAs besides improvement in Asset Quality Management, by bringing down Gross NPAs to 0.74% on 31 March 2008 from 17.17% on 31 March 2005. The Bank has recorded the lowest slippage among public sector banks in the last three years.

As a matter of prudence, the Bank has been making higher provisions for stressed assets than the rates prescribed under existing RBI regulations. The Bank made provisions @ 35%, 65% & 100% in NPAs of 1st year, 2nd year and 3rd year as against regulatory requirement of 10%, 20% and 30% of secured advances respectively.

TREASURY OPERATIONS

The Bank's total investment as on 31.03.2008 stood at Rs.8524.92 crore as against Rs.6752.01 crore for the year ended 31.03.2007, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception and investment policy of the Bank. The average yield on investment for the year 2007-08 was 7.72% as against 7.92% for the year 2006-07.

The average investment of the Bank increased to Rs.8035.54 crore for 2007-08 compared to Rs.7150.72 crore for 2006-07. Consequently, the total interest income from investments for 2007-08 increased to Rs.620.43 crore from Rs. 566.92 crore for 2006-07, showing a growth of 9.44%.

The Bank also earned Rs.17.51 crore as profit on sale of securities during 2007-08 against Rs.17.35 crore during 2006-07.

FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS

Both Foreign Exchange and Domestic treasuries have been operating in close coordination resulting in better resource management and improvement in profitability from treasuries.

There is no un-reconciled debit in Nostro accounts that is outstanding for more than three months.



ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार की प्रक्रिया को जारी रखते हुए बैंक ने पंजाब में श्रेणी "सी" की सात शाखाओं को विदेशी मुद्रा के नकदीकरण हेतु प्राधिकृत किया है।

जोखिम प्रबंधन

बेसल II के ढांचागत प्रावधानों के स्थाई कार्यान्वयन हेतु बैंक पूरी तैयारी में है जो कि 31.03.2009 से लागू होगा और पूंजी प्रभार के अभिकलन हेतु समानांतर परिचालन के प्रति वचनबद्ध है। ढांचागत जोखिम प्रबंधन प्रणाली व नीतियां बैंक में प्रारंभ कर दी गई हैं ताकि एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जा सके। विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन तथा उनका आदर्श उपयोग करने हेतु उपयुक्त जोखिम प्रबंधन ढांचे की आंतरिक व्यवस्था करना ही इसका अंतिम उद्देश्य है। इन पद्धतियों/नीतियों की समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आवधिक समीक्षा करके उन्हें अद्यतन किया जाता है।

ऋण पात्रता निर्धारण ढांचा बैंक की मूल्यांकन प्रणाली का अभिन्न अंग है। बैंक ने कम्पनी ऋणों के लिए आंतरिक स्तर पर ऋण जोखिम दर निर्धारण हेतु मॉडल तैयार किया है जो विभिन्न गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानदंडों पर आधारित है। बैंक ने वर्ष के दौरान हाऊसिंग, उपभोक्ता (वाहन ऋण सहित) व निजी ऋणों के लिए रिटेल ऋण जोखिम दर निर्धारण मॉडल विकसित किया है।

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन तथा जोखिम प्रबंध की निगरानी के लिए बैंक में जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित की गई है। आसित देयता प्रबंधन समिति (आल्को) विचार-विमर्श करके आसित तथा देयताओं के आकार, संरचना एवं स्वरूप का निर्धारण करती है। यह समिति घरेलू मियादी जमा दरें, बड़ी जमा राशियों की दरें तथा मूल उधार दर की न्यूनतम दरों में परिवर्तन भी निर्धारित करती है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) में ऋण जोखिम से संबंधित मामलों की समीक्षा की जाती है तथा उन पर विचार किया जाता है। परिचालन जोखिम से संबंधित मामलों की परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) द्वारा समीक्षा और निगरानी की जाती है। व्यापार चलाने की नीति तथा आपदा वसूली प्रबंधन हेतु बैंक द्वारा प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया जा रहा है। बैंक की सभी शाखाओं को जोखिम आधारित आन्तरिक ऑडिट (आरबीआईए) की निगरानी में रखा गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान बैंक की नेटवर्किंग परियोजना के अंतर्गत 259 शाखाओं/कार्यालयों को आपस में जोड़ा गया जिसे जनवरी 2009 तक बढ़ा कर 500 शाखाओं/ कार्यालयों में कर दिया जाएगा। इस प्रकार

As a part of on-going process of improvement in customer service, the Bank has also authorized seven category 'C' branches in Punjab for encashment of foreign currency notes.

RISK MANAGEMENT

The Bank is in preparedness for smooth implementation of Basel II framework, applicable from 31/03/2009 and is undertaking parallel run for computation of capital charge. Bank has in place structured Risk Management Systems and policies, to implement Integrated Risk Management System. The ultimate objective is to internalize a suitable Risk Management framework to manage various types of risks and to optimize spread. The policies/systems are periodically reviewed / updated in light of RBI guidelines received from time to time.

Credit Rating framework is an intrinsic part of appraisal system of the Bank. The Bank has in-house developed Credit Risk Rating Models for corporate loans, which assign ratings, based on the various quantitative & qualitative parameters. The Bank has developed Retail Credit Risk Rating Model for housing, consumer (including vehicle loans) & personal loans during the year.

The Bank has in place Risk Management Committee (RMC) to monitor & manage risk and implementation of Integrated Risk Management System in the bank. Assets Liability Management Committee (ALCO) deliberates and decides the size, composition, tenor of assets & liabilities. It also decides domestic term deposit rates; bulk deposit rates and changes in the Benchmark Prime Lending Rate. The issues related to credit risk are reviewed and deliberated in Credit Risk Management Committee (CRMC). Operational Risk Management Committee (ORMC) reviews and monitors matters relating to operational risks. The Bank is conducting mock exercises for testing of Business Continuity Plan and Disaster Recovery Management. All branches of the Bank have been brought under the purview of Risk Based Internal Audit (RBIA).

INFORMATION TECHNOLOGY

During the year, connectivity was established at 259 branches/offices under the Networking project of the Bank, which is slated to cover 500 branches/offices by January, 2009. This connectivity



शाखाओं के जुड़ने से आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. तथा पीएसबी ई-निधियों के माध्यम से निधियों के अंत:बैंक तथा अंतर बैंक स्थानांतरण में तेजी आएगी।

बैंक बाहरी एजेंसियों की सहायता से एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत 300 शाखाओं को सीबीएस तथा 500 शाखाओं/कार्यालयों को नेटवर्किंग के लिए जोड़ने के लिए कृतसंकल्प है। सीबीएस का कार्य मै. आई फ्लैक्स सोल्यूशन्स द्वारा किया जा रहा है। सीबीएस के अधीन 300 शाखाओं को जोड़ने का कार्य आरम्भ हो चुका है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरम्भ की गई चेक ट्रंकेशन परियोजना (सीटीएस) को नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। बैंक के लिए मै. एनसीआर कारपोरेशन सीटीएस सेवा उपलब्ध करा रही है। भारि. बैंक के दिशा निर्देशानुसार बैंक जुलाई 2008 में किए जाने वाले परीक्षण चालन में सहभागिता के लिए तैयार है।

वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ में इन हाउस टीवीए शाखाओं के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया।

अपने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ चुनी हुई शाखाओं में 50 ऑन लाईन एटीएम स्थापित करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान एटीएम परियोजना का शुभारंभ किया।

बाहरी एजेंसियों के बजाए आंतरिक स्तर पर शाखा समायोजन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। परिणामस्वरूप जहां कार्य-क्षमता में वृद्धि हुई वहीं लागत में भी काफी बचत हुई।

संगठन एवं सहायक सेवाएं

31 मार्च को बैंक की 868 शाखाएं, 28 विस्तार पटल तथा 10 करेसी चेस्ट थे जिनमें 5 आई.एस.ओ. 9001-02 प्रमाणित शाखाएं शामिल हैं जो कि 25 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में फैली हुई हैं। वर्ष के दौरान 7 नई शाखाएं खोली गईं तथा 17 विस्तार पटलों को अपग्रेड कर, पूर्ण शाखा का दर्जा दिया गया। बैंक के आंचलिक कार्यालयों को पुनर्गठित किया गया तथा वर्तमान आंचलिक कार्यालयों में से एक नया आंचलिक कार्यालय बनाया गया ताकि बैंक व्यवसाय के विकास को गति प्रदान की जा सके।

has facilitated faster remittance of Inter Bank & Intra Bank transfer of funds through RTGS / NEFT and PSB e-funds.

Bank is implementing CBS in 300 branches and Networking in 500 branches / Offices on an Outsourced Model in a phased manner. The CBS Solution is "Flexcube" from M/s Iflex Solutions. Process for roll out of 300 branches under CBS has been initiated.

The RBI initiated Cheque Truncation Project (CTS), is being implemented in the NCR region of New Delhi. M/s NCR Corporation is the CTS Service provider for the Bank. The Bank is geared to participate in test run in July' 2008 as per RBI directions.

Mobile Banking Services for customers have been launched during the year in in-house TBA branches in Delhi and Chandigarh.

Bank has launched ATM project during the year for installation of 50 on-line ATMs at identified branches to provide any-time banking facilities to customers.

In-house developed Branch Reconciliation software has been implemented, replacing the outsourced solution, resulting into higher efficiency and considerable savings on costs.

ORGANISATION & SUPPORT SERVICES

As on 31st March, 2008, the Bank had 868 Branches, 28 Extension Counters and 10 Currency Chests including 5 ISO 9001-9002 certified branches spread over 25 States and one Union Territory. 7 new branches were opened and 17 extension counters were upgraded into branches. The Bank had also restructured zonal offices and one new zonal office has been created out of existing zonal offices to provide impetus for the growth of Bank's business.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सरदार आर.पी. सिंह, द्वारका, नई दिल्ली में बैंक की नई कम्प्यूटरकृत शाखा का उद्घाटन करते हुए। उनके साथ खड़े हैं कार्यकारी निदेशक सरदार जी एस माटा, महा प्रबंधक सरदार जी एस रेखी तथा सरदार जे एस कथूरिया।

Chairman & Managing Director Sardar R.P. Singh is seen inaugurating Bank's Fully Computerised Branch at Dwarka, New Delhi. Other Officials in the picture are Executive Director Sardar G.S. Matta, Gen. Managers Sardar G.S. Rekhi and Sardar J.S. Kathuria.



मानव संसाधन विकास

आंतरिक तथा बाहरी प्रशिक्षणों के माध्यम से बैंक ने अपने कर्मचारियों को और अधिक कुशल बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान देना जारी रखा तथा बैंक द्वारा 252 इन-हाऊस कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 3952 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 53 अधिकारियों को शीर्ष स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

31.03.2008 को बैंक में 9013 कार्मिक थे जिनमें 4454 अधिकारी 3143 लिपिक तथा 1416 अधीनस्थ कार्मिक थे। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न वेतनमानों में 526 कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नत किया।

सरकार की आरक्षण नीति की शर्तों के अनुसार, एक महा प्रबंधक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

पूरे वर्ष बैंक में औद्योगिक संबंध मधुर रहे।

खेल-कूद

बैंक उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अकादमी चला रहा है। बैंक की हॉकी टीम ने रंगास्वामी कप को अपने पास बरकरार रखते हुए नेहरू कप में भी विजय प्राप्त की जो कि स्वयं एक परम प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। बैंक की जूनियर हॉकी टीम ने भी अखिल भारतीय स्तर के तीन टूर्नामेंटों में विजय प्राप्त कर बैंक के नाम को चार चांद लगाए।

सुरक्षा व्यवस्था

बैंक की अपनी एक सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। सुरक्षा उपायों की निगरानी नियमित रूप से की जाती है जहां आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जाते हैं।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक का अपना एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तंत्र है। प्रक्रिया एवं पद्धति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार नियमित

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The Bank continued emphasis on training & development of its human resources through in-house and external training programmes and 252 programs were conducted in-house imparting training in different areas of banking to 3952 employees. Besides, 53 officials were deputed for advanced training programmes

The total staff of the Bank as on 31.03.2008 stood at 9013 comprising of 4454 officers, 3143 clerks and 1416 sub-staff. During the year, the Bank promoted 526 employees and officers in different scales.

In terms of Govt. Reservation Policy, a General Manager has been designated as a Chief Liaison Officer for SC/ST employees.

The industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year.

SPORTS

The Bank runs an academy for training the budding hockey players. The Bank's hockey team, while continuing to hold Rangaswamy cup (National Level), also won the Nehru cup which is the other most prestigious tournament. The Bank's junior hockey team also brought laurels to the Bank by winning three All India level tournaments.

SECURITY

ARRANGEMENT

The Bank has in place a well laid security management system. Regular security inspections are carried out and necessary

remedial measures wherever required are promptly taken.

INTERNAL CONTROL

The Bank has a strong internal control mechanism, to ensure compliance of systems and procedures and has got conducted



पी.एस.बी. हॉकी टीम ने वर्ष 2007 में नेहरू हॉकी चैम्पियनशिप जीती। बैंक की टीम ने अंतिम मुकाबले में बी.पी.सी.एल. को 4-3 से हराया। बैंक के कार्यपालक, स. आर. पी. सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को जीती हुई ट्रॉफी सौंपते हुए

P.S.B. won the prestigious Nehru Hockey Championship in the year 2007. P.S.B. team defeated B.P.C.L. by 4-3 goals in the final. Bank's Executives handed over the winning trophy to C.M.D. S. R.P. Singh.



निरीक्षण, प्रबंधन ऑडिट, कंकरंट ऑडिट, जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट, राजस्व ऑडिट तथा प्रणाली ऑडिट करवाए गए।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक ने एक अनुपालन नीति तैयार की और उसे अमल में लाया गया। इस अनुपालन नीति के मद्देनजर तथा इसके अनुयोजन के बाद महा प्रबंधक (विधि एवं वसूली) को इसका मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया ताकि अनुपालन कार्यों की औपचारिक रूपरेखा के अनुसार कार्य किया जाए।

बोर्ड की ऑडिट कमेटी द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा संबंधित प्रकरणों की प्रयाप्तता तथा कार्य-कुशलता का आवधिक आधार पर पुनरीक्षण किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के अंतर्गत किए गए निरीक्षण के दौरान इंगित टिप्पणियों के अनुसार विधिवत् सुधारात्मक उपाय किए गए। बोर्ड की ऑडिट कमेटी द्वारा आर बी आई निरीक्षण रिपोर्टों के अनुपालन का आवधिक पुनरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय जैसी विनियामक संस्थाओं से प्राप्त संप्रेषणों/दिशा निर्देशों पर उचित ध्यान दिया गया व उन्हें कार्यान्वित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा के प्रचार-प्रसार तथा विभिन्न सांविधिक अनिवार्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में बैंक द्वारा अच्छी प्रगति की गई। वर्ष के दौरान बैंक में 44 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन हिंदी कार्यशालाओं में 728 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 421 डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर, 2368 स्टाफ सदस्यों को उनके काउंटर पर ही हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कुल 415 शाखाओं/विस्तार पटलों तथा कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किए गए।

regular Inspections, Management Audit, Concurrent Audit, Risk Based Internal Audit, Credit Audit, Revenue Audit and System Audit as per requirement.

With a view to strengthen internal control mechanism, the Bank has formulated and adopted a Compliance Policy. In terms of compliance policy and its subsequent adaptation, General Manager (Law & Recovery) has been appointed as Chief Compliance Officer with the aim to put in place a formal framework of Compliance Function.

The Audit Committee of the Board periodically reviewed the adequacy and efficacy of the internal control system and related issues.

RBI INSPECTION

The observations made by RBI during Inspection u/s 35 Banking Regulation Act 1949 were well received and rectified. The Audit Committee of the Board periodically reviewed compliance of RBI Inspection Reports. The communications/guidelines received

from regulatory bodies like RBI/MOF were promptly attended to and implemented.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

During the year, the Bank made good progress in promoting use of Official Language and in ensuring compliance of various statutory requirements. 44 Hindi workshops were organized during the year and a total of 728 employees were trained. In addition, 2368 employees were also trained through 421 Hindi desk training programmes. A total of 415 branches / extension counters / offices were

inspected to review the use of Official Language Policy in the Bank.



दिल्ली बैंक नराकास द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीमती पी वी वल्सला कुट्टी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से पुरस्कार प्राप्त करते हुए सरदार दलजीत सिंह, उप महा प्रबंधक (राजभाषा)।

Delhi Bank Narakas has honoured the Bank with Third Prize for excellent work in Implementation of Hindi for the year 2006-07. Sardar Daljit Singh, Dy. Gen. Manager (O.L) is receiving the prize from Ms. P.V. Valsala Kutty, Jt. Secretary, Govt. of India, Home Ministry, Official Language.



कंपनी नियंत्रण

बैंक अच्छे कंपनी नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च मानक प्राप्त करने के लिए वित्तीय सूचना प्रकटीकरण में ईमानदारी, भौतिक सूचनाओं के प्रकटीकरण तथा आंतरिक नियंत्रण में लगातार सुधार सुनिश्चित किया गया।

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं हस्तांतरण उपक्रम) अधिनियम 1980 तथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है और इसका प्रतिनिधित्व विविध प्रकार के व्यवसायिक अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष (2007-08) के अंत में बोर्ड में दो पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक के अतिरिक्त आठ अन्य निदेशक थे जिसमें वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार द्वारा नामित चार अंश कालिक गैर-अधिकारी निदेशक शामिल थे।

बोर्ड द्वारा निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया गया जिनके द्वारा आवश्यक कार्यक्षेत्रों तथा बैंक के मामलों में विशेष रूप से नियंत्रण उपलब्ध कराया गया।

- प्रबंधन समिति
- ऑडिट समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बड़ी मात्रा की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
- सतर्कता समिति
- ग्राहक-सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- अपील/समीक्षा समिति

वर्ष 2007-08 के दौरान निदेशक मंडल की छह, प्रबंधन समिति की सात तथा निदेशक मंडल की ऑडिट समिति की पाँच बैठकें आयोजित की गईं।

सांविधिक लेखा परीक्षण

वर्ष 2007-08 से बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रबंधकीय स्वायत्ता संबंधी विकल्प को अपनाकर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों/शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है। इस विकल्प के तहत बैंक द्वारा मैसर्स ओ.पी. तुलसियान एण्ड कं. नई दिल्ली; मैसर्स

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and to attain highest standards by ensuring integrity in financial reporting, disclosure of material information and continuous improvement of internal controls.

The Bank's Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act 1980 read with the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and is represented by persons with diversified professional experience.

At the end of the year (2007-08), the Board comprised of two Whole Time Directors viz. Chairman & Managing Director and Executive Director besides eight other Directors including representatives of Ministry of Finance, Reserve Bank of India, Workmen Representative, Officer Employees' Representative and four Part Time Non-Official Directors appointed by the Government of India.

The Board has constituted various committees as under, which provide specific and focus governance in the important functional areas and control the affairs of the Bank.

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Committee to monitor Large Value Frauds
- Vigilance Committee
- Customer Service Committee
- Remuneration Committee
- Appellate / Reviewing Committee

During 2007-08, six meetings of the Board of Directors, seven meetings of the Management Committee and five meetings of the Audit Committee of the Board were held.

STATUTORY AUDIT

From the financial year 2007-08 our Bank has opted to exercise the option of Managerial Autonomy offered by Reserve Bank of India in the appointment of Statutory Central Auditors / Branch Auditors. Bank appointed M/s O.P.Tulsyan & Co., New Delhi;



के.बी. चांदना एंड कं. नई दिल्ली; मैसर्स प्रसाद आज़ाद एंड कं. नई दिल्ली एवं मैसर्स एस. लाल एंड कं. पानीपत को मार्च 2008 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

अभिस्वीकृतियां

बैंक के समक्ष विगत में आई चुनौतियों से उबरने और इसे एक मज़बूत एवं सुदृढ़ बैंक के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अपने सभी ग्राहकों द्वारा दिए योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल अपने सभी स्टाफ—सदस्यों की हार्दिक प्रशंसा करता है जिनकी प्रतिबद्धता और पहल से संगठन की प्रगति संभव हुई है और आशा करता है कि आगामी वर्षों में भी बैंक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, वे इसी प्रकार अपना सहयोग जारी रखेंगे।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ताक्षरित
(आर.पी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

M/s K.B.Chandna & Co., New Delhi; M/s Prasad Azad & Co., New Delhi and M/s S. Lall & Co., Panipat as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2008.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board places on record the support extended by the Government of India, Reserve Bank of India and its customers in facing the challenges in the past and to emerge as a strong & vibrant Bank now.

The Board expresses its deep sense of appreciation to all staff members, whose commitment and initiative has made the organization's growth possible and look forward to their continued co-operation in achieving the corporate goals in the years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(R.P. Singh)
Chairman & Managing Director



तुलन पत्र
एवं
लाम-हानि लेखा
Balance Sheet
&
Profit & Loss Account
2007-2008



31 मार्च, 2008 का तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2008

	अनुसूची सं. SCHEDULE	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2007 रु./Rs.
पूँजी तथा देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूँजी / Capital	①	7430560	7430560
आरक्षित निधि एवं अधिशेष / Reserves & surplus	②	13502573	6626271
जमा राशियां / Deposits	③	248314084	193187560
उधार / Borrowings	④	29767176	2050756
अन्य देयताएं तथा प्राक्धान / Other liabilities & Provisions	⑤	10477571	10335186
जोड़ / TOTAL		309491964	219630333
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष Cash & balances with Reserve Bank of India	6	19550906	10743994
बैंकों में इतिशेष एवं मांग पर अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with banks & money at call and short notice	7	9847967	15732519
निवेश / Investments	8	84736329	66930827
अग्रिम / Advances	9	183433034	117375121
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	10	5689634	2530050
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	6234094	6317822
जोड़ / TOTAL		309491964	219630333
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	37125296	20874896
वसूली के बिल / Bills for Collection		4179993	4590821
उल्लेखनीय लेख नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग है। Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

आर.पी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक

अनिता कपूर
ए.एस. मान
के.के. शर्मा

आर. सदानंदम
एम.एस. सेखों
कमल मान
महाप्रबंधक

आर. गांधी
यू.के. शर्मा
एम.वी.एस. प्रसाद

दविन्द्र सिंह
जी.एस. रेखी
एच.एस. लाम्बा

उपकार सिंह
के.एस. सदर

गजेन्द्र सिंह
जे.एस. कथूरिया
एच.एस. मक्कड़

मनजीत सिंह
उप महाप्रबंधक

जी.एस. अरोड़ा
सहा. महाप्रबंधक

नई दिल्ली
दिनांक 28.04.2008

समतिथि पर हमारे रिपोर्ट के अनुसार:

कृते ओ.पी. तुलसीयान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(राकेश अग्रवाल)
साझेदार
एम. नं. 81808

कृते के.बी. चान्दना एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(संजीव चांदना)
साझेदार
एम. नं. 87354

कृते प्रसाद आजाद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(के.एम. आजाद)
साझेदार
एम. नं. 5125

कृते एस. लाल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(एस.एल. अग्रवाल)
साझेदार
एम. नं. 7959

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2008

		(000 को छोड़कर) (000's OMITTED)	
	अनुसूची सं.	31.03.2008 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2008 रु./Rs.	31.03.2007 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2007 रु./Rs.
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	22493956	17268747
अन्य आय / Other income	14	2875330	2284977
जोड़ / TOTAL		25369286	19553724
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	14334936	9598627
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	5607762	5230689
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions and contingencies	—	1603007	2539084
जोड़ / TOTAL		21545705	17368400
III. लाभ / हानि / PROFIT/LOSS			
वर्ष के शुद्ध लाभ हानि / Net Profit/Loss(-) for the year		3823581	2185324
अग्रानीत लाभ/हानि (-) / Profit/Loss(-) brought forward		1310705	104551
से आहरण: / Withdrawal from:			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / Investment Fluctuation Reserve		0	928165
सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		16092	
जोड़ / TOTAL		5150378	3218040
IV. विनियोग / APPROPRIATIONS			
को अंतरण / Transfer to:			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / Statutory Reserve		1000000	550000
सामान्य आरक्षित निधियाँ / General Reserve		0	999107
पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) / Capital Reserve [Investment]		67802	100228
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / Investment Fluctuation Reserve		0	228000
विशेष आरक्षित निधियां धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत / Special Reserve u/s 36(i)(viii)		23224	0
कार्मिक कल्याण निधि / Staff Welfare Fund		60000	30000
शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		3999352	1310705
जोड़ / TOTAL		5150378	3218040
उल्लेखनीय लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग है / Schedule 1 to 18 form an intergal part of the accounts			

R.P. SINGH Chairman & Managing Director			As per our Report of Even Date	
Directors			FOR O.P. TULSYAN & CO. Chartered Accountants (RAKESH AGARWAL) PARTNER M.NO. 81808	FOR K.B. CHANDNA & CO. Chartered Accountants (SANJEEV CHANDNA) PARTNER M.NO. 87354
Anita Kapur A.S. Mann K.K. Sharma	R. Sadanandam M.S. Sekhon Kamal Mann	R. Gandhi U.K. Sharma M.V.S. Prasad		
General Managers			FOR PRASAD AZAD & CO. Chartered Accountants (K.M. AZAD) PARTNER M.NO. 5125	FOR S. LALL & CO. Chartered Accountants (S.L. AGGARWAL) PARTNER M.NO. 7959
Gajindar Singh J.S. Kathuria H.S. Makker	Devinder Singh G.S. Rekhi H.S. Lamba	Upkar Singh K.S. Sadar		
New Delhi Dated 28.04.2008	Manjit Singh Dy. Gen. Manager	G.S. Arora Asstt. Gen. Manager		



(000 को छोड़कर)
(000's OMITTED)
31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
AS ON 31.03.2008
रु./Rs.

31.03.2007 की स्थिति के अनुसार
AS ON 31.03.2007
रु./Rs.

अनुसूची 1-पूंजी / SCHEDULE 1-CAPITAL

I. पूंजी (केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व में) / Capital (fully owned by Central Government) पिछले तुलन-पत्र के अनुसार / As per last Balance Sheet वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	7430560 0	7430560 0
जोड़ / TOTAL	7430560	7430560

**अनुसूची 2-आरक्षित निधि एवं अधिशेष /
SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS**

I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves अधिशेष / Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year उप-योग / Sub-Total I	1359406 1000000 2359406	809406 550000 1359406
II. सामान्य आरक्षित निधि / General Reserves अधिशेष / Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year उप-योग / Sub-Total II	1095207 0 -16092 1079115	96100 999107 1095207
III. पूंजी आरक्षित निधि-स्थायी आस्तियां / Capital Reserves-Fixed Assets पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve: अधिशेष / Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year उप-योग / Sub-Total III	2177503 5375233 -2262512 5290224	2497866 0 -320363 2177503
IV. पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) / Capital Reserve [Investments] अधिशेष / Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year उप-योग / Sub-Total IV	577750 67802 645552	477522 100228 577750
V. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियां / Revenue & Other Reserves अ. / a. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / Investment Fluctuation Reserves अधिशेष / Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year घटा : सामान्य रिजर्व में राशियों का अंतरण / Less : Amount transferred to General Reserves उप-योग / Sub-Total V.a.	0 0 0 0	700165 228000 -928165 0
ब. / b. राजस्व आरक्षित निधि / Revenue Reserve अधिशेष / Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year उप-योग / Sub-Total V.b.	105700 0 105700	105700 0 105700
स. / c. विशेष आरक्षित धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत / Special Reserve u/s 36(i)(viii) अधिशेष / Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year उप-योग / Sub-Total V.c.	0 23224 23224	0 0 0
VI. लाभ-हानि खाते में शेष / Balance in profit & Loss Account कुल योग / Total (I+II+III+IV+V+VI)	3999352 13502573	1310705 6626271



(000 को छोड़कर)
(000's OMITTED)
31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008
रु. / Rs.
31.03.2007 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2007
रु. / Rs.

अनुसूची 3—जमा राशियां / SCHEDULE 3-DEPOSITS

A. I.	मांग जमा / Demand Deposits		
	(i) बैंकों से / From Banks	388451	197023
	(ii) अन्य से / From others	20356566	21088745
II.	बचत बैंक जमा राशियां / Savings Bank Deposits	69501075	67032819
III.	सावधि जमा / Term Deposits		
	(i) बैंकों से / From Banks	11221714	6059720
	(ii) अन्य से / From others	146846278	98809253
	जोड़ / TOTAL (I+II+III)	248314084	193187560
B.	भारत में शाखाओं की जमा राशियां / Deposits of branches in India	248314084	193187560

अनुसूची 4—उधार / SCHEDULE 4- BORROWINGS

I.	भारत में उधार / Borrowings in India		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	0	0
	(ii) अन्य बैंक / Other Banks	8750000	0
	(iii) अन्य संस्थान और अभिकरण / Other institutions & agencies	19412376	2050756
II.	भारत से बाहर उधार / Borrowings outside India	1604800	0
	जोड़ / TOTAL (I+II)	29767176	2050756
	उपरोक्त जोड़ (I) और (II) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार / Secured borrowings Included in I & II above	0	0

अनुसूची 5—अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5- OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I.	देय बिल / Bills payable	2962169	2552634
II.	अन्तः कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments [net]	33605	945883
III.	प्रोदभूत ब्याज / Interest accrued	624870	582989
IV.	गैर जमानती प्रतिदेय बांड / Unsecured Redeemable Bonds (टीयर-2 पूंजी के गौण ऋण) / [subordinated Debts for Tier-II Capital]	3800000	3850000
V.	स्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability	28100	31200
VI.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) / Others (including provisions)	3028827	2372480
	जोड़ / TOTAL	10477571	10335186

अनुसूची 6—नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास इतिशेष / SCHEDULE 6- CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) / Cash in hand [including foreign currency notes]	1029890	894469
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में इतिशेष / Balances with Reserve Bank of India		
	i). चालू खातों में / in Current Account	18521016	9849525
	ii). अन्य खातों में / in Other Account	0	0
	जोड़ / TOTAL (I+II)	19550906	10743994



	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2007 रु./Rs.
अनुसूची 7-बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / SCHEDULE 7-BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i) बैंकों में शेष / Balance with banks		
(a) चालू खातों में / in Current Accounts	985092	837236
(b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	7750000	8500000
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call & Short notice		
(a) बैंकों से / with banks	0	1692844
(b) अन्य संस्थाओं से / with other Institutions	0	0
उप-योग / Sub-Total I	8735092	11030080
II. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में / in Current Accounts	492008	445295
ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	620867	4257144
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call & Short notice	0	0
उप-योग / Sub-Total II	1112875	4702439
जोड़ [I+II] / Total [I+II]	9847967	15732519
अनुसूची 8-निवेश / SCHEDULE 8-INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश / Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities**	74097935	56415379
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	4309492	4434277
iii) शेयर्स / Shares	643596	216170
iv) डिबैंचर तथा बांड्स / Debentures & Bonds	5593109	5798034
v) सहायक इकाईयां तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान / Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
vi) अन्य / Others:		
a) वाणिज्यिक पत्र / प्रतिभूत रसीदें / Commercial Paper/Securitized Receipts:	38357	44430
b) यू.टी.आई. के यूनिट, अन्य स्युचुअल फंड / Units of UTI, Other MF	47303	16000
उप-योग / Sub-Total I	84736329	66930827
II. भारत से बाहर निवेश / Investments outside India	0	0
कुल जोड़ [I+II] / Total [I+II]	84736329	66930827
कुल मूल्य / Gross Value	85249176	67520143
मूल्य हास का प्रावधान (-) / Provision for Depreciation [-]	512847	589316
निवल निवेश / Net Investments	84736329	66930827

** इनमें रु. 1423.26 करोड़ की भारगस्त प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य रु. 1381.97 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 9.76 करोड़ थी। (अंकित मूल्य रु. 9.00 करोड़)

** Includes encumbered securities of Rs. 1423.26 crore [Face Value Rs. 1381.97 crore] previous year Rs. 9.76 crore [F.V. Rs. 9.00 crore] **



	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2007 रु./Rs.
अनुसूची 9—अग्रिम / SCHEDULE 9-ADVANCES		
A.		
i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	6491446	2724987
ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार / Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	60533847	44887038
iii) सावधि ऋण / Term Loans	116407741	69763096
जोड़ / Total	183433034	117375121
B.		
i) मूल आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित) / Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	134908063	85650099
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/Government Guarantees	7487970	7086855
iii) गैर जमानती / Unsecured	41037001	24638167
जोड़ / Total	183433034	117375121
C.		
भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	59256951	47266939
ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	21575942	14299769
iii) बैंक / Banks	6439629	3235062
iv) अन्य / Others	96160512	52573351
जोड़ / Total	183433034	117375121



	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 ₹./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2007 ₹./Rs.
अनुसूची 10-स्थायी आस्तियां / SCHEDULE 10-FIXED ASSETS		
I. परिसर / Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत / Cost as on 31st March of the preceding year	237475	214370
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन / Appreciation in cost on account of revaluation	2529741	2561914
रुप-योग / Sub-Total	2767216	2776284
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	21881	23631
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	5375233	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year on		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	-1073	-526
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	-2529741	-32173
घटाएं-अद्यतित दिनांक को मूल्यहास / Less : Depreciation to date on		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	-117351	-112240
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	-85009	-352238
जोड़ / Total I	5431156	2302738
II. अन्य स्थायी आस्तियां (इनमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं) / Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की लागत पर / At cost as on 31st March of the preceding year	1356027	1304783
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	98978	69487
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-51533	-18243
अद्यतन मूल्यहास / Depreciation to date	-1144994	-1128715
जोड़ / Total-II	258478	227312
कुल जोड़ / Total-I+II	5689634	2530050



	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु. / Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2007 रु. / Rs.
अनुसूची 11—अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11-OTHER ASSETS		
I. प्रोदभूत ब्याज / Interest accrued	1857292	2329098
II. अग्रिम रूप से संदत्त / स्रोत पर काटा गया कर / Tax paid in advance/Tax deducted at source	2685582	2675533
III. लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery & Stamps	23712	22403
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियां / Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
V. अन्य / Others	1667508	1290788
जोड़ / Total	6234094	6317822
अनुसूची 12—आकस्मिक देयताएँ / SCHEDULE 12-CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / Claims against the bank not acknowledged as debts	53863	31327
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय सविदाओं के लिए देयता / Liability on account of outstanding forward exchange contracts	27382478	13191400
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां / Guarantees given on behalf of Constituents		
a. भारत में / In India	5553051	4921553
b. भारत के बाहर / Outside India	0	0
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं / Acceptances, Endorsements and other obligations	4135837	2730549
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Other items for which the bank is contingently liable	67	67
जोड़ / Total	37125296	20874896



	31.03.2008 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2008 रु. / Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2007 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2007 रु. / Rs.
अनुसूची 13-अर्जित ब्याज /		
SCHEDULE 13-INTEREST EARNED		
I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल/Interest/discount on advances/bills	15300706	10282183
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	6221221	5713712
III. भारतीय रिजर्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज/ Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	861316	1184391
IV. अन्य/Others	110713	88461
जोड़ / Total	22493956	17268747
अनुसूची 14-अन्य आय /		
SCHEDULE 14-OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, exchange and brokerage	519047	493333
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)/Profit on sale of Investments [net]	175129	173467
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/हानि/ Profit/Loss on Revaluation of Investments	-301101	-352025
IV. भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)/ Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	1402	47222
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)/Profit on exchange transactions [net]	300117	234949
VI. विविध आय/Miscellaneous Income	2095727	1399036
VII. पुनर्मूल्यन आरक्षित खाता से अंतरण/ Transfer from Revaluation Reserve Account	85009	288995
जोड़ / Total	2875330	2284977



अनुसूची 15-अपचित ब्याज /

SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED

I. जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	13345973	9040367
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज / Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	614416	242364
III. अन्य / Others	374547	315896
जोड़ / Total	14334936	9598627

अनुसूची 16-परिचालन व्यय /

SCHEDULE 16-OPERATING EXPENSES

I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान / Payments to and provisions for employees	4205799	3771034
II. किराया, कर और रोशनी / Rent, taxes and lighting	319991	306946
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री / Printing and stationery	61033	59963
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement & publicity	3443	3423
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्य हास / Depreciation on Bank's property	156957	370464
VI. निदेशकों के फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fee, allowances and expenses)	771	671
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) / Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	59420	32169
VIII. विधि प्रभार / Law Charges	42176	38692
IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि / Postage, Telegrams, Telephones etc.	59721	53561
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs & maintenance	84012	77109
XI. बीमा / Insurance	196538	164236
XII. अन्य व्यय / Other expenditure.	417901	352421
जोड़ / Total	5607762	5230689

अनुसूची-17

प्रमुख लेखा नीतियां

1. सामान्य

जहां अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो, वित्तीय विवरण के लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के सिद्धान्तों पर परंपरागत मूल लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो भारत में प्रचलित कानूनी प्रावधानों तथा परम्पराओं पर आधारित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फ़ेडाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदा की दिनांक से प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। लाभ या हानि की संगणना फ़ेडाई के निर्देशानुसार की गई है।

2.3 विदेशी विनिमय लेन देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व, विदेशी मुद्रा में गारंटी का मूल्यांकन फ़ेडाई (FEDAI) द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है।

3. निवेश:

3.1 निवेशों से संबंधित वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा लागू प्रावधानों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे "परिपक्वता तक रखना" "बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरण न्यूनतम लागत पर किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्यहास को पूर्णतया लगाया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छः वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है।

SCHEDULE -17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

The financial statements are prepared on historical cost basis by following going concern concept and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India, unless otherwise stated.

2. Foreign Exchange Transactions

2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.

2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per FEDAI guidelines.

2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.

2.4 Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees in foreign currencies are valued as per the rates published by FEDAI as on the date of closing.

3. Investments

3.1 Classification, valuation and applicable provisions in respect of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.

3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of the securities is changed accordingly. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above are made under six classifications viz.,

- | | |
|---|---|
| <p>i) सरकारी प्रतिभूतियां।</p> <p>ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां</p> <p>iii) शेयर्स</p> <p>iv) ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बॉण्ड</p> <p>v) सहायक इकाइयां/संयुक्त उपक्रम तथा</p> <p>vi) अन्य</p> | <p>i. Government Securities;</p> <p>ii. Other approved securities;</p> <p>iii. Shares;</p> <p>iv. Debentures and Bonds;</p> <p>v. Subsidiaries / Joint Ventures and</p> <p>vi. Others.</p> |
| <p>3.3 प्रतिभूतियां जिन्हें "परिपक्वता तक रखना है" का अभिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची-14 अन्य आय शीर्ष के अंतर्गत निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ की मद III में से कम कर के दिखाया गया है। जहां लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहां अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।</p> | <p>3.3 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition cost unless such cost are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Other Income" - Schedule 14 as a deduction from 'Profit on Revaluation of Investments' item III. In case the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually.</p> |
| <p>3.4 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा हास/वृद्धि को श्रेणी-वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध हास का प्रावधान किया गया है और उतनी ही राशि (शुद्ध कर-लाभ, यदि कोई है तो, तथा सांविधिक आरक्षित खाते में अंतरिम कम की गई शुद्ध राशि) निवेश घट-बढ़ आरक्षित खाते में से लाभ हानि खाते में अंतरित की गई है। यदि मूल्य हास पर अधिक प्रावधान किया गया है, तो उस आधिक्य को लाभ-हानि खाते में अंतरित किया गया है और उतनी ही राशि को (शुद्ध कर यदि कोई हो तो, और सांविधिक आरक्षित खाते में शुद्ध अंतरण जैसा कि आधिक्य प्रावधानों पर लागू होता है) निवेश-घट-बढ़ आरक्षित खाते में समायोजित किया गया है।</p> | <p>3.4 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for and an equivalent amount (net of tax benefit, if any, and net of consequent reduction in transfer to Statutory Reserve) is transferred to Profit & Loss Account from the Investment Fluctuation Reserve. In case of excess provision for depreciation, the excess amount is credited to profit and loss account and an equivalent amount (net of taxes, if any, and net of transfer to Statutory Reserve as applicable to such excess provisions) is appropriated to the Investment Fluctuation Reserve.</p> |
| <p>3.5 व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यहास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है।</p> | <p>3.5 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.</p> |
| <p>3.6 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।</p> | <p>3.6 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.</p> |
| <p>3.7 "बिक्री हेतु उपलब्ध" एवं "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियां" वर्गीकरण के अन्तर्गत- प्रतिभूतियों के निवेश के मूल्य को "बाजार दर" पर निर्धारण हेतु स्टाक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव/दरों के अनुरूप मूल्य सूची भारि. बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।</p> | <p>3.7 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).</p> |

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. भारत सरकार की प्रतिभूतियां : फिमडा/पी डी ए आई द्वारा दी गई दरों पर।
- ख. राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान्य अंशों तथा ऋणपत्रों तथा पीएसयू बॉण्ड्स फिमडा/पीडीआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीआई/फिमडा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- ग. इक्विटी शेयर्स : नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक अप मूल्य के आधार पर, जोकि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहां पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
- घ. म्युचुअल फंड यूनिट्स पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
- ङ. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनः पूंजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान-शुद्ध लागत पर।

3.8 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण :

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/ स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए गए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय माना गया है।

3.9 निवेशों की बिक्री से लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, "परिपक्वता तक रखना" श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। फिर भी, बैंक ने निम्नानुसार अवमानक और संदिग्ध श्रेणियों के लिए उच्चतर प्रावधान किए हैं।

In respect of unquoted investments, the procedure adopted is as below:

- a. Government of India Securities: At rates put out by FIMMDA/PDAI;
- b. State Government Loans, Other approved Securities, preference shares, Debentures and PSU Bonds: On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI;
- c. Equity Shares: At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company;
- d. Mutual Fund Units: At re-purchase price or Net Assets Value;
- e. Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions: At carrying cost.

3.8 In determining acquisition cost of investments:

- a. Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
- b. Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
- c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.9 Profit/loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. However, the bank has made higher provisions for Sub-standard and Doubtful categories as follows:



आस्तियों की श्रेणी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित	बैंक द्वारा अनुवर्तित
अवमानक	10%	35%
संदिग्ध- I	20%	65%
संदिग्ध - II	30%	100%

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुपयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/ तकनीकी बट्टे खाते पर प्रावधान किया गया है। जीआईसीजीसी से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार "अन्य दायित्व तथा प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

5. अचल आस्तियां:

5.1 परिसर तथा अन्य अचल अस्तियों को परम्परागत लागत पर पुनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना संभव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

5.2 स्थाई पट्टे पर लिए गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

6. अचल आस्तियों पर मूल्यहास:

6.1 मूल्यहास निम्नानुसार लगाया गया है :

6.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 प्रतिशत; परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

6.1.2 अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास घटती कीमत पद्धति से आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित दरों पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है तथा इसके पश्चात् होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है।

6.1.3 जहां कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहां कुछ परिसरों के मूल्यहास का प्रावधान संमिश्र मूल्य पर किया गया है।

6.2 वर्ष के दौरान बेची गई/ निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यहास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यनसंचयी खाते से लाभ हानि खाने में अंतरित कर दिया गया है।

Category of Asset	As prescribed by RBI	As followed by Bank
Sub-standard	10%	35%
Doubtful- I	20%	65%
Doubtful -II	30%	100%

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA Accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under 'Other Liabilities and Provisions' as per RBI guidelines.

5 Fixed Assets

5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/ revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

5.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

6 Depreciation on Fixed Assets

6.1 Depreciation is provided for on -

6.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.

6.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.

6.1.3 Composite cost of premises wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

6.2 No depreciation is provided in assets sold/disposed of during the year.

6.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

7. राजस्व मान्यता :

- 7.1 जहां अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 7.2 भारि. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुपयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का पता वसूली आधार पर लगाया गया है।
- 7.3 अनुपयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।
- 7.4 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेन्ट बैंकिंग लेन-देन से आय, मुद्रा अंतरण सेवा अंशों पर लाभान्श, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन तथा म्यूचुअल फण्ड के अंशों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
- 7.5 उधारियों को ब्याज में दी गई छूट को ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने की स्थिति में ही पास किया गया है।
- 7.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना जमा राशियों के नवीनीकरण पर की जाती है।
- 7.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की जाती है।
- 7.8 टीयर II पूंजी में वृद्धि के कारण में बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है जिन्हें पांच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाता है।

8. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ :

ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। बीमांकिक पद्धतियों के आधार पर पेंशन फंड से संबंधित संक्रमणकालीन दायित्व को पुनरीक्षित लेखा मानक-15 (ए.एस.-15) के अनुसार वर्ष 2007-08 से आरंभ कर 5 वर्षों की अवधि में समाप्त किया जाना है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डी.बी.ओ.डी.बी.पी. संख्या 271/21.01.002/2007-06 दिनांक 23.08.05 द्वारा इसे 10 वर्षों में बाकी बचे 7 वर्षों में समाप्त किया जाना अनुमोदित है।

9. आय पर कर

- 9.1 चालू आय कर तथा अनुषंगी लाभ को लागू कर देश तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 9.2 एएस-22 आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर आय योग के बीच में समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित-कर-आस्तियों के संबंध में इसकी पहचान यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर की गई है।

7 Revenue Recognition

- 7.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 7.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 7.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.
- 7.4 Income on guarantees and letters of credit issued, Locker rent, income from Merchant Banking transactions, money transfer service, dividend on shares, Interest on Refund of Income Tax, commission on credit card, Government business including distribution of pension and income from units of Mutual Fund product are accounted for on receipt basis.
- 7.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 7.6 Interest on overdue Term Deposits is accounted for as and when the deposits are renewed.
- 7.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 7.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8. Staff Retirement Benefits

Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave encashment Fund are provided for on the basis of actuarial valuation. Transitional liability relating to Pension Fund determined as per actuarial valuation is written off over a period of five years commencing from 2007-08 in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS-15) as against remaining seven years out of ten years as approved by Reserve Bank of India vide its letter no. DBOD.BP.No. 271/21.01.002/2005-06 dated 23.08.2005.

9. Taxes on Income

- 9.1 Current Income Tax and Fringe Benefits Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.
- 9.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets.

अनुसूची- 18

लेखों संबंधी टिप्पणियां

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

- 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1.2 खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 31.01.2008 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य प्रगति पर है।
- 1.3 बैंकों, नोस्ट्रो, ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/भुगतान किए गए डिबिटेंड वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट इत्यादि के साथ खातों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है।

प्रबंधन की राय में, उक्त का लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर प्रभाव, यदि कोई है तो मामूली होगा जिससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 30.09.2007 की अवधि तक तथा 31.03.2008 को बकाया अंतर शाखा के सभी खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग-अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप या तो कुछ शीर्षों में नाम या कुछ शीर्षों में जमा शेष है निवल नामे शेष हेतु प्राक्धान किए गए हैं।
- 1.5 असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31.03.1996 की स्थिति के अनुरूप 3.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3.15 करोड़ रुपये) की अवरुद्ध नोस्ट्रो-खाते विविध लेनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को पुनर्मूल्यन बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल, 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि रु. 3.20 करोड़ (पूर्व वर्ष रु. 3.06 करोड़) की असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।
- 2.1 रु. 6.52 करोड़ की वास्तविक लागत की सात संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष हैं। (पिछले वर्ष 08 संपत्तियां रु. 7.69 करोड़ की थीं)।

2.2 परिसरों का पुनर्मूल्यन :

वर्ष के दौरान बैंक ने 31.03.2008 को अपने परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया जिसके अनुसार इसकी लागत रु. 25.83 करोड़ से बढ़ाकर रु. 551.61 करोड़ हो गई (डब्ल्यूडीवी रु. 14.09 करोड़) जिसे योग्यता प्राप्त बाहरी मूल्यांकक द्वारा आंका गया है। परिणामस्वरूप रु. 537.52 करोड़ की वृद्धिशील राशि को स्थाई आस्तियों के

SCHEDULE -18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Balancing of Books and Reconciliation.

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter Office Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.01.2008 and reconciliation is in progress
- 1.3 Reconciliation of accounts with banks, NOSTRO, Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable etc. is in progress.

In the opinion of the management, the impact of the above, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2007 and remaining outstanding as on 31.03.2008 has been done which has resulted in either net debit in some heads or net credit in other heads. Provision is made for the net debit balances.
- 1.5 Aggregate net credit position in respect of un-reconciled NOSTRO Accounts relating to the period upto 31st March 1996 amounting to Rs 3.11 crore (previous year Rs 3.15 crore) has been transferred to Blocked NOSTRO Account Sundry Creditors out of which Rs 1.77 crore is being carried at old book value. Un-reconciled credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs 3.20 crore (previous year Rs. 3.06 crore) have been segregated and kept in Unclaimed Deposit(NOSTRO) Account.

- 2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of 7 properties having original cost of Rs.6.52 crore (Previous year 8 properties costing Rs.7.69 crore).

2.2 Revaluation of Premises:

During the year, Bank revalued its Premises on 31.03.2008 at Rs 551.61 crores against cost of Rs. 25.83 crores (WDV of Rs. 14.09 crores) on the basis of valuation by independent qualified external valuers. Consequently, an incremental amount of Rs. 537.52 crores has been debited

नामे डाला गया तथा इतनी ही राशि को पुनर्मूल्यांकन संचयी खाते में क्रेडिट किया गया। 31.03.2006 के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई रु. 252.97 करोड़ की वृद्धि को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया।

to Fixed Assets and corresponding credit to Revaluation Reserve Account. Appreciation on account of Revaluation carried out on 31.03.2006 amounting to Rs. 252.97 crores has been reversed during the year.

3. पूंजी

रु. करोड़ों में

मद	2007-08	2006-07
(i) सी.आर.ए.आर (%)	11.57%	12.88%
(ii) सी.आर.ए.आर-टियर I पूंजी (%)	8.04%	9.58%
(iii) सी.आर.ए.आर-टियर II पूंजी (%)	3.53%	3.30%
(iv) भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	100%	100%
(v) टियर II के पूंजी के अंतर्गत वर्णित गौण ऋण राशि	380.00	385.00
(vi) इनमें से टियर II के लिये राशि	317.00	235.00

4. निवेश

4.1

रु. करोड़ों में

मद	2007-08	2006-07
निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य		
क भारत में	8524.92	6752.01
ख भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(ii) मूल्यहास हेतु प्रावधान		
क भारत में	51.29	58.93
ख भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य		
क भारत में	8473.63	6693.08
ख भारत से बाहर	शून्य	शून्य

4.2 निवेशों में मूल्यहास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)

रु. करोड़ों में

विवरण	2007-08	2006-07
(i) अथ शेष	58.93	45.56
(ii) जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	13.31	49.38
(iii) घटा : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पूनांकन	20.95	36.01
(iv) इति शेष	51.29	58.93

3. Capital

(Rupees in crore)

Items	2007-08	2006-07
(i) CRAR (%)	11.57%	12.88%
(ii) CRAR - Tier I capital (%)	8.04%	9.58%
(iii) CRAR - Tier II capital (%)	3.53%	3.30%
(iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	100%	100%
(v) Amount of subordinated debt raised as Tier II capital	380.00	385.00
(vi) Out of which eligible for Tier II	317.00	235.00

4. Investments

4.1

(Rupees in crore)

Items	2007-08	2006-07
Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	8524.92	6752.01
(b) Outside India	Nil	Nil
(ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	51.29	58.93
(b) Outside India	Nil	Nil
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	8473.63	6693.08
(b) Outside India	Nil	Nil

4.2 Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)

(Rupees in crore)

Particulars	2007-08	2006-07
(i) Opening balance	58.93	45.56
(ii) Add: Provisions made during the year	13.31	49.38
(iii) Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	20.95	36.01
(iv) Closing balance	51.29	58.93



4.3 पुनः खरीद / पुनः प्रतिवर्तित खरीद लेन-देन

4.3 Repo / Reverse Repo Transactions

(रु. करोड़ों में) (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया / Minimum Outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया / Maximum Outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया औसत / Daily Average Outstanding during the year	अथ शेष / Balance as on 31.03.2008
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां / Securities sold under Repos	210.00	892.50	47.68	शून्य / Nil
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities purchased under Reverse Repos	3.15	840.00	27.98	शून्य / Nil

4.4 गैर-साविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची : 31.03.2008 जारीकर्ता संगठन

4.4 Non-SLR Investment Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2008

(रु. करोड़ों में) (Rupees in crore)

जारी कर्ता / Issuer	राशि Amount	प्राइवेट स्थापन की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Un-rated' Securities	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सार्व. उपक्रम / PSUs	209.10	177.03	शून्य / Nil	59.72	82.71
वित्तीय संस्थान / FIs	303.20	248.21	शून्य / Nil	25.59	50.59
बैंक / Banks	85.98	85.00	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
प्राइवेट कं. / Private Corporate	67.20	38.42	शून्य / Nil	2.65	2.66
सहायक / संयुक्त उपक्रम / Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	शून्य / Nil	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.
अन्य / Others	9.06	3.84	शून्य / Nil	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.
मूल्यहास के लिए रखे हुए प्रावधान / Provision held towards depreciation	(-) 42.29	XXX	XXX	XXX	XXX
कुल / Total	632.90	553.15	शून्य / Nil	87.96	135.96

4.5 अनुपयोज्य और गैर-साविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार चढ़ाव (रुपये करोड़ों में)

विवरण	2007-08	2006-07
अथ शेष	26.40	34.06
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.09	शून्य
वर्ष के दौरान कमियां	शून्य	7.66
इति शेष	26.49	26.40
कुल प्रावधान	26.49	26.40

4.5 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

Particulars	2007-08	2006-07
Opening balance	26.40	34.06
Additions during the year	0.09	Nil
Reductions during the year	Nil	7.66
Closing balance	26.49	26.40
Total Provisions held	26.49	26.40

4.6 व्युत्पत्तियां

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.7 वर्ष के दौरान निवेश पुनःरचित/पुनःअनुसूचित/पुनः पराक्रमित खाते।

(रुपये करोड़ों में)

	2007-08	2006-07
मानक अस्तियां जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
पुनर्संरचना के अधीन अवमानक अस्तियां	शून्य	14.98
अशोध्य अस्तियां जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल अस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	14.98

4.8 वर्ष के दौरान आई.एफ.सी.आई. बॉण्ड्स में किए गए रु. 32.06 करोड़ के गैर एस.एल.आर. निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार रु. 6.48 करोड़ के मूल्य हास प्रावधान के बाद "परिपक्वता तक रखने" से बदल कर "बिक्री हेतु उपलब्ध" में अंतरित कर दिया गया। वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी निवेश को "बिक्री हेतु उपलब्ध" से "परिपक्वता तक रखने" के वर्ग में अंतरित नहीं किया।

5. अस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुपयोज्य अस्तियां (रुपये करोड़ों में)

मर्दे	2007-08	2006-07
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एन.पी.ए.(%)	0.37	0.66
(ii) सकल एन.पी.ए. में घट-बढ़ (सकल)		
(क) अथ शेष	290.84	941.50
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	105.84	76.49
(ग) वर्ष के दौरान कमी	261.15	727.15
(घ) इति शेष	135.53	290.84
(iii) निवल एन.पी.ए. में घट-बढ़		
(क) अथ शेष	77.04	220.42
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	64.66	65.26
(ग) वर्ष के दौरान कमी	74.73	208.64
(घ) इति शेष	66.97	77.04

4.6 Derivatives

Bank has not entered into any derivative transactions either for hedging or trading purpose during the year 2007-08. Accordingly, qualitative and quantitative disclosure under RBI guidelines with respect to derivative transactions is not given.

4.7 Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year

(Rupees in crore)

	2007-08	2006-07
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	14.98
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	14.98

4.8 During the year, the Bank's Non SLR investment of Rs. 32.06 crores in IFCI bonds has been shifted from "Held till Maturity" to "Available for Sale", as directed by RBI, after providing depreciation of Rs. 6.48 crores. The Bank has not shifted any investments from "Available for Sale" to "Held till Maturity" category during the year.

5. Asset Quality

5.1. Non-Performing Assets (Rupees in crore)

Items	2007-08	2006-07
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.37	0.66
(ii) Movement of Gross NPAs		
(a) Opening Balance	290.84	941.50
(b) Additions during the year	105.84	76.49
(c) Reductions during the year	261.15	727.15
(d) Closing balance	135.53	290.84
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	77.04	220.42
(b) Additions during the year	64.66	65.26
(c) Reductions during the year	74.73	208.64
(d) Closing balance	66.97	77.04



(iv)	एन.पी.ए. प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(क) अथ शेष	210.55	692.45
	(ख) जमा : वर्ष के दौरान प्रावधान	77.71	189.94
	(ग) घटा : अधिक प्रावधानों को बढ़ते खाते डालना/पुनर्गठन	222.55	671.84
	(घ) इति शेष	65.71	210.55

5.2 डी.आई.सी.जी.सी./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावों को जिन्हें अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है ऐसे दावे बैंध/वसूली योग्य है।

5.3 पुनः संरचित किए जाने वाली ऋण आस्तियों का विवरण

(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(a) Opening Balance	210.55	692.45
	(b) Add: provisions made during the year	77.71	189.94
	(c) Less: write off, write back of excess provisions	222.55	671.84
	(d) Closing balance	65.71	210.55

5.2 DICGC / ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 Details of Loan Assets subjected to Restructuring (रुपये करोड़ों में) (Rupees in crore)

मर्दे / Particulars	सी.डी.आर. के अंतर्गत Under CDR		सी.डी.आर. के अतिरिक्त Other than CDR	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
	(i) मानक अस्तियां जिन्हें पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किया जाना है Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	शून्य/Nil	शून्य/Nil	52.41
(ii) पुनर्संरचना, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित के अधीन अवमानक आस्तियां Sub-standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	शून्य/Nil	शून्य/Nil	3.28	शून्य/Nil
(iii) अशोध्य आस्तियां जिन्हें पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किया जाना है Doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	शून्य/Nil	शून्य/Nil	11.33	शून्य/Nil
(iv) कुल आस्तियों की राशि जिन्हें पुनः संरचित पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किया जाना है (i)+(ii)+(iii) Total Amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation (i) +(ii) +(iii)	शून्य/Nil	शून्य/Nil	67.02	7.56

5.4 आरित पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

मर्दे	2007-08	2006-07
(i) खातों की संख्या	1	6 (**)
(ii) एस सी/ आर सी तथा एन.पी. एफ.सी. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	65.40(*)	79.58(***)
(iv) पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.07	शून्य
(v) शुद्ध वही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	65.47	78.45 (***)

5.4 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(Rupees in crore)

Item	2007-08	2006-07
(i) Number of Accounts	1	6 (**)
(ii) Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC and Banks/ NBFC	Nil	Nil
(iii) Aggregate consideration	65.40 (*)	79.58 (***)
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.07	Nil
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	65.47	78.45 (***)



(*) कुल प्रतिफल राशि में रु. 3.63 करोड़ नकदी तथा रु. 61.76 करोड़ की प्रतिभूति रसीदें शामिल हैं।

(**) खातों की संख्या में एस.सी./आर.सी. के दो खाते, बैंक का एक खाता तथा एनबीएफसी के तीन खाते शामिल हैं।

(***) कुल प्रतिफल राशि में रु. 1.13 करोड़ ईसीजीसी को वापस किए जाने हैं।

5.5 खरीदे/बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण :
(क) खरीदे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण
रु.करोड़ों में

विवरण			2007-08	2006-07
1.	क.	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क.	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख.	कुल बकाया	शून्य	शून्य

(ख) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण
रु.करोड़ों में

विवरण			2007-08	2006-07
1.		बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.		कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.		कुल प्राप्त प्रतिशत	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

रु.करोड़ों में

मदें	2007-08	2006-07
मानक आस्तियों पर प्रावधान	109.74	79.47

6. कारोबार अनुपात

मदें		2007-08	2006-07
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	8.79%	8.01%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	1.12%	1.06%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	2.12%	2.19%
(iv)	आस्तियों से आय	1.49%	1.01%
(v)	प्रति कर्मचारी (रुपये लाखों में) कारोबार (जमाराशियां+अग्रिम)	466.87	328.59
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये लाखों में)	4.24	2.34

(*) Aggregate consideration includes cash Rs. 3.63 crore and Security Receipts for Rs. 61.76 crore.

(**) Number of accounts include sale of two accounts to SC/RC, one account to bank and three accounts to NBFCs.

(***) Rs.1.13 crore is to be refunded to ECGC out of the amount of Aggregate consideration.

5.5 Details of non-performing financial assets purchased/sold:
A. Details of non-performing financial assets purchased:
(Rupees in crore)

Particulars		2007-08	2006-07
1.	(a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

Particulars		2007-08	2006-07
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.6 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

Item	2007-08	2006-07
Provisions towards Standard Assets	109.74	79.47

6 Business Ratios

Items	2007-08	2006-07
(i) Interest Income as a percentage to average working funds	8.79 %	8.01%
(ii) Non-Interest Income as a percentage to average working funds	1.12 %	1.06%
(iii) Operating Profit as a percentage to average working funds	2.12 %	2.19%
(iv) Return on Assets	1.49 %	1.01%
(v) Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in lacs)	466.87	328.59
(vi) Profit per employee (Rs. in lacs)	4.24	2.34



7. आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management

31.03.2008 को आस्तियाँ और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप
Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2008

(रुपये करोड़ों में) (Rupees in crore)

परिपक्वता स्वरूप समयावधि Maturity Pattern (Time Buckets)	जमा राशियाँ/ Deposits	ऋण तथा अग्रिम/ Loans & Advances	निवेश/ Investments	उधार/ Borrowings	विदेशी मुद्रा / Foreign Currency	
					देयताएं/ Liabilities	आस्तियाँ/ Assets
1 दिन / 1 day	231.76	197.32	25.33	60.00	44.50	74.70
2-7 दिन / 2-7 days	403.51	1081.41	130.61	1875.67	83.24	28.63
8-14 दिन / 8-14 days	484.12	1011.11	24.59	200.00	4.62	40.75
15-28 दिन / 15-28 days	837.77	260.68	207.27	260.18	71.83	49.39
29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	1942.30	3877.50	240.90	500.00	26.31	139.46
3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months to 6 months	2882.29	1575.44	229.43	32.21	59.05	131.97
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months to 1 year	4080.97	1504.35	185.11	12.15	126.57	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	6697.89	4181.58	812.92	36.51	43.23	0.00
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	2495.08	1384.07	1080.19	0.00	0.53	0.00
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	4775.72	3269.84	5537.28	0.00	0.00	0.00
कुल / Total	24831.41	18343.30	8473.63	2976.72	459.88	464.90

8. संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण / Lending to Sensitive Sectors

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector Category

(रुपये करोड़ों में) (Rupees in crore)

श्रेणी / Category	31.03.2008	31.03.2007
1. प्रत्यक्ष ऋण / Direct Exposure		
(क) / (a) रिहायशी बंधक / Residential Mortgages	1007.86	982.75
ऐसी संपत्तियाँ जिन पर उधारी कब्जा है या किराये पर दी हुई हैं को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है। Lending fully secured by mortgage of residential properties that is or will be occupied by the borrower or that is rented		
उपरोक्त में रुपये 15 लाख तक के व्यक्तिगत आवासीय ऋण सम्मिलित हैं। Individual housing loans upto Rs. 15 lacs included in the above.	773.08	753.29



	(ख)/(b)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा / Commercial Real Estate		
	(i)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहां बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) के ऋण भी शामिल हैं। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial space or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) exposure would also include non fund based (NFB) limits;	1184.26	913.73
	(ग) (c)	बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एमबीएस) और अन्य जमानती ऋण Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures.		
	a.	रिहायशी / Residential	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	b.	व्यावसायिक-वास्तविक संपदा / Commercial Real Estate	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2.		अप्रत्यक्ष ऋण (एनएचबी और/या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एच.एफ.सी.) गैर निधि आधारित ऋण) Indirect Exposure [Fund and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	1224.20	145.83

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारिता

(रुपये करोड़ों में)

	मदें	2007-08	2006-07
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कंपनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	81.06	29.57
2.	सामान्य अंशों (आईपीओ/ईएसओपीएस) परिवर्तनीय बॉण्ड्स, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों/बॉण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	2.03	0.10
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण, पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	0.10	0.00

8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

	Items	2007-08	2006-07
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	81.06	29.57
2.	Advances against shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	2.03	0.10
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.10	Nil



4.	अंशों की समपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहाँ पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया।	0.30	0.00
5.	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	18.39	19.23
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर प्रत्याभूत हों, कम्पनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत) को इक्विटी के समतुल्य माना जाएगा और उसे पूंजी बाजार के ऋण जोखिम की अद्यतन सीमा के अनुपालन के लिए गिना जाएगा (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही)	1.22	1.60
	पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी	103.10	50.50

4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.30	Nil
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	18.39	19.23
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	1.22	1.60
	Total Exposure to Capital Market	103.10	50.50

8.3. देशवार ऋण जोखिम

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित हैं, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अन्दर हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस जी एल) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल.) के विवरण

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank



वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिनपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

During the year 2007-08, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/group borrower, except in the following cases, which have been approved by the Board:

(रुपये करोड़ों में) (Rupees in crore)

क्र.सं. S.No.	उधारियों के नाम/Name of the Borrower	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा Maximum Limit during the year	ऋण जोखिम(%) Exposure (%)	31.03.08 को ऋण सीमा/ देयता.ए. Limit/ Liability as on 31.03.08	ऋण जोखिम(%) Exposure (%)
1.	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड/Reliance Industries Ltd.	240	15.03	Nil	Nil
2.	बी.पी.सी.एल./BPCL	240	15.03	225	14.09
3.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड/ICICI Bank Ltd.	319	19.98	319	19.98
4.	यस बैंक लिमिटेड/Yes Bank Ltd.	315	19.73	315	19.73

8.5 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

	2007-08	2006-07
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

9 मानक लेखांकन का अनुपालन

9.1 31 मार्च 2008 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000 को छोड़कर)

(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह	2007-08	2006-07
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	3823581	2185324
समायोजन हेतु :		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1603007	2539084
निदेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि	301101	352025
मूल्यहास (निवल)	71948	81469
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-1402	-47222
गौण ऋण पर ब्याज	257485	303289
स्टाफ कल्याण निधि	-60000	-30000
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	5995720	5383969
समायोजन हेतु		
निक्षेपों में वृद्धि/(कमी)	55126524	23941754

8.5 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

	2007-08	2006-07
A. Penalty imposed by RBI on Bank during the year	Nil	Nil
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

9 Compliance with Accounting Standards:

9.1 Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2008

(000's omitted)

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	2007-08	2006-07
Net Profit/ (Loss) as per Profit & Loss Account	3823581	2185324
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	1603007	2539084
(Profit)/ Loss on Revaluation of Investments	301101	352025
Depreciation (Net)	71948	81469
Profit on sale of assets	-1402	-47222
Interest on subordinated debts	257485	303289
Staff Welfare Fund	-60000	-30000
Operating Profit before working capital changes	5995720	5383969
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	55126524	23941754



उधारों में वृद्धि / (कमी)	27716420	2048809
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	-28629	193564
निवेशों में वृद्धि / (कमी)	-18125500	1709021
अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	-66778284	-27550530
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	-558997	-1075000
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह	3347254	4651587
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-118811	-89659
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1402	47222
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-117409	-42437
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी	0	0
गौण बांड जारी करना	1000000	1500000
गौण बांड का मोचन	-1050000	-800000
गौण बांडों पर ब्याज	-257485	-303289
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	-307485	396711
परिचालन गतिविधियों से नकदी	3347254	4651587
निवेश गतिविधियों से नकदी	-117409	-42437
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	-307485	396711
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	2922360	5005861
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	26476513	21470652
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	29398873	26476513

Increase / (Decrease) in Borrowings	27716420	2048809
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-28629	193564
(Increase) / Decrease in Investments	-18125500	1709021
(Increase) / Decrease in Advances	-66778284	-27550530
(Increase) / Decrease in Other Assets	-558997	-1075000
Cash Flow from Operating Activities (A)	3347254	4651587
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Increase in Fixed Assets	-118811	-89659
Profit on sale of assets	1402	47222
Cash Flow from Investing Activities (B)	-117409	-42437
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Infusion of capital by Central Government	0	0
Issue of Subordinated Bonds	1000000	1500000
Redemption of Subordinated Bonds	-1050000	-800000
Interest on Subordinated Bonds	-257485	-303289
Cash Flow from Financing Activities (C)	-307485	396711
Cash from Operating Activities	3347254	4651587
Cash from Investing Activities	-117409	-42437
Cash from Financing Activities	-307485	396711
Increase in Cash & Cash Equivalents	2922360	5005861
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	26476513	21470652
Cash and Cash equivalents at the end of the year	29398873	26476513

- 9.2 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ए एस-5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और नहीं दर्शाया गया है।
- 9.3 प्राप्ति आधार पर मान्य आय/व्यय मदें महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- 9.4 पेंशन, ग्रच्युटी तथा छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस.-15) के आधार पर किया गया है। पेंशन निधियों के संबंध में संक्रमण कालीन दायित्व को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर रु. 408.35 करोड़ आंका गया है जिसे संशोधित लेखा मानक (ए.एस.-15) के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में समाप्त किया जाएगा। न पहचाने गए बीमाकिक दायित्व को रु. 326.68 करोड़ आंका गया है।

- 9.2 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.
- 9.3 Income/ Expenditure items recognized on receipt basis are not material.
- 9.4 Provisions for pension, gratuity and leave encashment have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI. In respect of pension funds, transitional liability has been computed at Rs. 408.35 crore as per actuarial valuation which is written off over a period of five years in terms of Revised Accounting Standard (AS - 15). The amount of unrecognized transitional liability is Rs. 326.68 crore.



9.5 बैंक ने व्यापार खण्ड को ए एस-17 के अनुरूप अपनी विशेष प्राथमिक रिपोर्ट वाले खण्ड के रूप में "ट्रेजरी", कम्पनी/थोक बैंकिंग, फुटकर बैंकिंग और "अन्य बैंकिंग परिचालन" में वर्गीकृत किया है और आवश्यक प्रकटीकरण निम्नानुसार है-

9.5 The Bank has recognized business segment as its primary reportable segment under AS-17 classified into 'Treasury', Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and 'Other Banking Operations' and necessary disclosure is given below:

(रुपये करोड़ों में) (Rupees in crore)

व्यावसायिक खण्ड Business Segment	राजकोष Treasury	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	फुटकर बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग प्रचालन Other Banking Operations	कुल Total
विवरण / Particulars	31.03.08	31.03.08	31.03.08	31.03.08	31.03.08
राजस्व / Revenue	609.52	1179.35	740.37	7.69	2536.93
परिणाम / Result	44.16	424.21	266.31	7.69	742.37
गैर-आबंटित व्यय / Unallocated expenses					199.71
परिचालन लाभ / Operating Profit					542.66
प्रावधान व आकस्मिक देयताएं Provision & Contingencies					96.03
आय कर / Income Tax					64.27
विशेष लाभ / हानि Extra Ordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध लाभ / Net Profit					382.36
अन्य सूचना / Other Information					
खण्ड संपत्तियां / Segment Assets	8638.64	13505.47	8478.50	0.00	30622.61
गैर-आबंटित संपत्तियां Unallocated Assets					326.59
कुल संपत्तियां / Total Assets					30949.20
खण्ड देयताएं / Segment Liabilities	8138.50	12723.57	7987.63	0.00	28849.70
गैर-आबंटित देयताएं Unallocated Liabilities					6.17
कुल देयताएं / Total Liabilities					28855.87

नोट: 1. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डी.बी.ओ.डी. संख्या बीपी.बी.सी. 81/21.04.018/2006-07 दिनांक 18.04.07 के अनुसार पुनरीक्षित सूचना का प्रथम वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
2. कम्पनी/थोक बिक्री तथा फुटकर बैंकिंग खण्ड के संबंध में राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खण्डों में दिए गए ऋणों के आधार पर विभाजित किया गया है।

Note : 1. Pursuant to RBI Circular No. DBOD.No.BP.BC.81/21.04.018/2006-07 dated 18.04.2007, previous year figures are not given being first year of revised reporting.

2. Segmental Revenue, Results, Assets and Liabilities in respect of Corporate/ Wholesale and Retail Banking Segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments

9.6 भौगोलिक खण्ड

बैंक की विदेशों में कोई शाखा नहीं है अतः भौगोलिक खण्ड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

9.6 Geographical Segment

As the Bank does not have any overseas branch, there is no requirement as to reporting of geographical segment.



9.7 लेखा-मानकों (ए एस 18) के अनुरूप संबंधित पार्टी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

I. सरदार आर.पी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
II. सरदार जी.एस. माटा, कार्यकारी निदेशक (31.03.2008 को सेवानिवृत्त)

क) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

i. सरदार आर.पी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 23.18 लाख रुपये

ii. सरदार जी.एस. माटा, कार्यकारी निदेशक 17.56 लाख रुपये

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों व उनके संबंधियों को दिए गए ऋण 31.03.2008 को बकाया ऋण शून्य

9.8 ए एस-22 का अनुपालन

9.8.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा देने में आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक-22 आय पर करों का लेखांकन का अनुपालन किया है।

9.8.2 आस्थगित कर आस्तियां/देयताओं के मुख्य भाग निम्नानुसार हैं :

9.7 Disclosures of Related Party Transactions in terms of Accounting Standards (AS - 18)

Key Managerial Personnel:

i. Sardar R. P. Singh, Chairman & Managing Director

ii. Sardar G.S. Matta, Executive Director (Retired on 31.3.2008)

a). Remuneration paid to Key Managerial Personnel:

i. Sardar R. P. Singh, Chairman & Managing Director Rs.23.18 lacs

ii. Sardar G.S. Matta, Executive Director Rs.17.56 lacs

b). Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives: Loans Outstanding as on 31.03.2008 NIL

9.8 Compliance with AS-22

9.8.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

9.8.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under.

(रुपये करोड़ों में) (Rupees in crore)

शीर्ष / Head	आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets		आस्थगित कर देयताएं Deferred Tax Liabilities	
	31.03.2008	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2007
1. प्रावधानों में समय का अंतर / Timing difference towards provisions	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2. स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	शून्य / Nil	शून्य / Nil	2.81	3.12
कुल / Total	शून्य / Nil	शून्य / Nil	2.81	3.12

9.8.3 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा धारित आयकर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाम के प्रावधान पर्याप्त पाए गए हैं।

9.8.4 अपील प्राधिकारियों के निर्णय, न्यायिक प्रणाली तथा टैक्स विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रु. 226.26 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष की राशि रु. 134.52 करोड़) की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि सम्पूर्ण मांग का भुगतान/देय धन वापसी के एवज में समायोजन कर दिया गया है।

9.8.5 न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट

वर्ष के दौरान बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के अनुसार आयकर का प्रावधान किया है जो कि कर क्रेडिट के लिए उपलब्ध है जिसका आने

9.8.3 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

9.8.4 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of income tax and interest tax aggregating to Rs. 226.26 crore (Previous year Rs. 134.52 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts. However the entire demand has been paid / adjusted / adjustable against the refund due.

9.8.5 Minimum Alternate Tax (MAT) Credit

During the year, the bank has made provision for Income Tax in accordance with the Minimum Alternate Tax (MAT) as per the Income Tax Act, 1961 which is available as tax

वाले वर्षों में समंजन किया जाएगा। आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी "आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मैट से संबंधित क्रेडिट हेतु लेखों पर निदेशक नोट" के अनुसार चालू वर्ष में मैट क्रेडिट की राशि रु. 26.03 करोड़ है जिनमें 31.03.2007 तक उपचित मैट क्रेडिट के रु. 32.00 करोड़ शामिल है तथा रु. 58.03 करोड़ के कुल योग को लाभ-हानि खाते के "प्रावधान तथा आकस्मिक" शीर्ष में जमा करके तथा "मैट क्रेडिट पात्र खाते" के नामे डाला गया है।

credit to be set off in subsequent years. In accordance with the "Guidance Note on Accounting for Credits available in respect of MAT under the Income Tax Act, 1961" issued by the ICAI, the MAT credit for the current year amounting to Rs. 26.03 crore together with MAT credit of Rs. 32.00 crore accrued upto 31.03.2007 and aggregating to Rs. 58.03 crore has been credited to Profit & Loss Account under 'Provisions and Contingencies' by debiting 'MAT Credit Entitlement Account'.

9.9 अनर्जक आस्तियों के खातों संबंधी ए.एस. 28 का अनुपालन

ए एस-28 में परिभाषित बैंक द्वारा धरित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियाँ" माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाईयाँ"। प्रबंधन की राय के अनुसार आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी ए.एस-28 के अंतर्गत 31.03.2008 तक समग्र राशि की स्थिर अनर्जक आस्तियाँ कोई नहीं है।

9.9 Compliance with AS - 28 Accounting for Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2008, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI.

9.10 ए.एस-29 का अनुपालन : प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का प्रावधान:

ए एस 29 के अनुसार इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए बैंक ने किसी आस्ति का प्रावधान नहीं किया है।

9.10 Compliance with AS - 29: Accounting for Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

As per AS-29, provisions, contingent liabilities and contingent assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

(क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or

(ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि :

b) Any present obligation from the past events but is not recognized because -

- यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके। या
- देयता राशि का विश्वसनीय अनुमान आंका नहीं जा सका है।

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or-
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल यह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहां विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप आय की पहचान नहीं हो पाएगी।

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.



10.1 अतिरिक्त सूचनाएं

(Rupees in crore)

	2007-08	2006-07
लाम हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा:		
गैर निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	69.97	103.62
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	-4.48	-3.95
निवेशों में मूल्यहास हेतु प्रावधान	3.30	27.17
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	30.27	47.35
आय-कर हेतु प्रावधान	121.10	21.64
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	-0.31	1.50
अनुषंगी लाम कर प्रावधान	1.24	1.21
मैट क्रेडिट पात्रता	-58.03	-
अन्य	-2.76	55.37
टोटल	160.30	253.91

10.2 अस्थायी प्रावधानों में घट-बढ़

(रुपये करोड़ों में)

	2007-08	2006-07
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इतिशेष	शून्य	शून्य

10.3 ग्राहक शिकायतें

	2007-08	2006-07
क वर्ष के आरम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	60	71
ख वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	414	422
ग वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	434	433
घ वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	40	60

10.1 Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2007-08	2006-07
Provision for Non Performing Advances	69.97	103.62
Provision for Non Performing Investments	-4.48	-3.95
Provision for Depreciation in the value of Investments	3.30	27.17
Provision for Standard Asset	30.27	47.35
Provision for Income Tax	121.10	21.64
Provision for Deferred Tax	-0.31	1.50
Provision for Fringe Benefit Tax	1.24	1.21
MAT Credit Entitlement	-58.03	-
Others	-2.76	55.37
Total	160.30	253.91

10.2 Movement of Floating Provisions:

(Rupees in crore)

	2007-08	2006-07
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

10.3 Customer's Complaints:

	2007-08	2006-07
a) No. of Complaints pending at the beginning of the year	60	71
b) No. of Complaints received during the year	414	422
c) No. of Complaints redressed during the year	434	433
d) No. of Complaints pending at the end of the year	40	60



10.4 बैंकिंग लोकपाल निर्णीत मामले

		2007-08	2006-07
क	वर्ष के आरम्भ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	3
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	22	5
ग	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	22	7
घ	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

11. जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, की छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है।

10.4 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

		2007-08	2006-07
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	3
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	22	5
c)	No. of Awards implemented during the year	22	7
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1

11. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/AUDITORS' REPORT

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
नई दिल्ली

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च 2008 के संलग्न तुलन पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को आबंटित कार्य के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय के विभागों की विवरणियां, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 665 शाखाओं तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई 182 अपरीक्षित शाखाओं की विवरणियों को भी शामिल किया गया है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 1.25 प्रतिशत, जमा राशियों का 10.07 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 3.82 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए ब्याज व्ययों का 9.28 प्रतिशत हिस्सा बनता है। हमें बताया गया है कि हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। इन वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।

हमने अपना लेखा परीक्षण भारतवर्ष में सामान्यतः प्रचलित लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है। लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर जांच की गई है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएं सही हैं। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं सम्पूर्ण वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार है।

उपरोक्त परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नानुसार प्रतिवेदन करते हैं:

- I. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः "क" तथा "ख" में तैयार किए गए हैं।
- II. निम्न की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:-
 - (क) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी/पहचान गैर समायोजित होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - (ख) नोट संख्या 9.8.4 अपीलों में लंबित विवादित कर-देयताओं के संबंध में है जिसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

To,
The President of India,
New Delhi

We have audited the attached Balance Sheet of Punjab & Sind Bank as at March 31, 2008 the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated returns of 20 branches, Zonal Offices and Central Office Departments audited by us as part of allocation of work among the Statutory Central Auditors, 665 branches audited by other auditors and 182 returns in respect of unaudited branches not visited by us. These unaudited branches account for 1.25 per cent of the advances, 10.07 per cent of deposits, 3.82 per cent of interest income on advances and 9.28 percent of interest expenses on deposits. The branches audited by us and those by other auditors, we are informed, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Subject to the limitations of the audit indicated in above paras and as required by the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertaking) Act, 1980 and also subject to the limitation of the disclosure required therein, we report as under:-

- I. The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- II. Attention is invited to -
 - a) Note No. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding adjustments required on account of non reconciliation of balances and clearance/ identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the effect of which is not ascertainable.
 - b) Note No.9.8.4 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.

III. बैंक की पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा नीतियों और ऊपर पैरा-II पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप हैं।

हम यह सूचित करते हैं कि:

(क) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमें दिखाई गई बैंक की बहियों के आधार पर तथा उपरोक्त पैरा II में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हैं:

(i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित रूप में तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च, 2008 के मामलों का उचित उल्लेख है।

(ii) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।

(iii) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2008 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

(ख) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, सभी सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं और हमने इन्हें संतोषजनक पाया है।

(ग) बैंक के ऐसे सभी लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।

(घ) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया है। केवल कुछ ही शाखाओं के मामले में, जिनके ब्यौरे पर्याप्त नहीं थे, उनके संदर्भ में आंचलिक कार्यालयों, मुख्य कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास किया गया है।

III. Capital Adequacy and other ratios disclosed in the Accounts by the Bank is subject to adjustments arising out of the Notes on Accounts, Accounting Policies and our remarks in para II above.

We further report that:-

(a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank and subject to our comments in para II above:

(i) The Balance Sheet read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at March 31, 2008.

(ii) The Profit & Loss Account, read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon reflects a true balance of profit for the year ended on March 31, 2008.

(iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash flow for the year ended March 31, 2008.

(b) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

(c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(d) The returns of the accounts received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit except that in the case of some branches where particulars were inadequate, the information available at the Zones / Head Office has been relied upon.

कृते ओ.पी. तुलसियान एण्ड कं.

सनदी लेखाकार
(राकेश अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 81808

कृते प्रसाद आजाद एण्ड कं.

सनदी लेखाकार
(के.एम. आजाद)
साझेदार
एम नं. 5125

For O. P. TULSYAN & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
[RAKESH AGARWAL]
Partner
M. No. 81808

For PRASAD AZAD & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
[K. M. AZAD]
Partner
M. No. 5125

कृते के.बी. चान्दना एण्ड कं.

सनदी लेखाकार
(संजीव चान्दना)
साझेदार
एम नं. 87354

कृते एस लाल एण्ड कं.

सनदी लेखाकार
(एस.एल. अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 7959

For K. B. CHANDNA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
[SANJEEV CHANDNA]
Partner
M. No. 87354

For S. LALL & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
[S. L. AGGARWAL]
Partner
M. No. 7959

दिनांक : 28 अप्रैल 2008
स्थान : नई दिल्ली

Dated: 28th April, 2008
Place: New Delhi

पी.एस.बी.